गोपनीय

2006 का विधेयक सं. 5

राजस्थान वित्त विधेयक, 2006

(जैसाकि राजस्थान विधानसभा में पुरःस्थपित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने और कतिपय अन्य परिवर्तन करने के लिए राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994, राजस्थान मूल्य परिवर्धित विक्रय कर अधिनियम, 2003, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने, राजस्थान विडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) अधिनियम, 1990 को निरसित करने और राजस्थान राज्य में भूमि पर कर के उद्ग्रहण का उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम .- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 3 से 36 तक के उपबन्ध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2
राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 में संशोधन

3. 1995 के राजस्थान अधिनियम सं. 22 की धारा 17 का संशोधन .- राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (1995 का अधिनियम सं. 22), की धारा 17 की विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''(4) इस प्रकार मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अन्तरणीय नहीं होगा और वह तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रद्द नहीं कर दिया जाता।''।

अध्याय 3
राजस्थान मूल्य परिवर्धित विक्रय कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

4. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 के नाम का संशोधन .– राजस्थान मूल्य परिवर्धित विक्रय कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के विद्यमान नाम ''राजस्थान मूल्य परिवर्धित विक्रय कर अधिनियम, 2003'' के स्थान पर नाम ''राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003'' प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 1 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 1 की उप–धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''राजस्थान मूल्य परिवर्धित विक्रय कर अधिनियम, 2003'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 2 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 2 में ,–

(i) विद्यमान खण्ड (7) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(7) ''पूंजीगत माल'' से विनिर्माण में उपयोग के लिए अभिप्रेत संयंत्र और मशीनरी, जिसके अन्तर्गत उसके पुर्जे और उपसाधन हैं, अभिप्रेत है जब तक कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में समय–समय पर अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाये ; '' ;

(ii) विद्यमान खण्ड (36) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (37) के पूर्व निम्नलिखित नये खण्ड अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :–

''(36क) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है ;

(36ख) ''विशेष आर्थिक परिक्षेत्र'' का वही अर्थ होगा जो उसे विशेष आर्थिक परिक्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) की धारा 2 के खण्ड (य क) में समनुदेशित किया गया है;'';

और

(iii) विद्यमान खण्ड (41) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''कर के अधीन है'' के पश्चात् और विराम चिह्न '' ; '' के पूर्व अभिव्यक्ति ''किन्तु उसमें से ऐसे माल के विक्रय के संबंध में, जो व्यवहारी द्वारा, ऐसे माल की अधिकतम

खुदरा कीमत पर कर का संदाय करके राज्य में क्रय किया गया था, या जहां ऐसे माल की अधिकतम खुदरा कीमत पर कर पूर्वतर अवसर पर राज्य में संदत्त किया गया था, विक्रय कीमत या विक्रय कीमत का भाग, यदि कोई हो, अपवर्जित किया जायेगा'' अन्तःस्थापित की जायेगी।

7. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 3 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''उप–धारा (1) के खण्ड (ख) में प्रगणित व्यवहारी से भिन्न कोई व्यवहारी, जिसका पण्यावर्त किसी वर्ष में पच्चीस लाख रुपये से अधिक नहीं है और जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से माल का क्रय करता है'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''उप–धारा (1) के खण्ड (ख) में प्रगणित व्यवहारी से भिन्न कोई व्यवहारी, जिसका पण्यावर्त पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है और जो राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से माल का क्रय करता है'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 4 का संशोधन .– मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''4. कर का उद्ग्रहण और उसकी दर .– (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन किसी व्यवहारी के द्वारा संदेय कर उत्तरवर्ती व्यवहारियों के द्वारा किये गये विक्रयों की आवली में ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर होगा जो विहित किये जायें और अनुसूची–3 से अनुसूची–6 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के कराधेय पण्यावर्त पर उक्त अनुसूचियों में ऐसे प्रत्येक माल के सामने उल्लिखित दर से उद्गृहीत किया जायेगा।

(2) प्रत्येक व्यवहारी, जो अपने कारबार के अनुक्रम में छूट प्राप्त माल से भिन्न किसी भी माल का ऐसी परिस्थितियों में क्रय करता है जिनमें ऐसे माल की विक्रय कीमत पर उप–धारा (1) के अधीन कोई कर संदेय नहीं है और उस माल का व्ययन धारा 18 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जाता है, ऐसे माल की क्रय कीमत पर, इस अधिनियम की अनुसूची–3 से अनुसूची–6 में ऐसे प्रत्येक माल के सामने उल्लिखित दर से कर देने का दायी होगा।

(3) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, धारा 3 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत आने वाले व्यवहारी द्वारा संदेय कर, पण्यावर्त पर दो प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर से उद्गृहीत किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये।

(4) जहां कोई माल किसी सामग्री में पैक करके बेचा जाये, वहां चाहे पृथक् प्रभार लिया गया हो या नहीं, उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, पैकिंग सामग्री पर कर का दायित्व और उस पर कर की दर, उसमें पैक किये गये माल पर के कर दायित्व और उस पर की दर के अनुसार होगी।

(5) राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करे, यदि वह लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्ष्यी रूप से अनुसूचियों को परिवर्धित या उनसे लोप या अन्यथा संशोधित या उपांतरित कर सकेगी या किसी भी माल के संबंध में संदेय कर की दर में कमी कर सकेगी और तत्पश्चात् अनुसूची तदनुसार संशोधित की हुई समझी जायेगी।

(6) उप–धारा (5) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसके इस प्रकार जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए रखी जायेगी जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि, ऐसे सत्र, जिसमें वह इस प्रकार रखी गयी है या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान–मण्डल का सदन ऐसी किसी अधिसूचना में कोई भी उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो उक्त अधिसूचना तत्पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगी या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण तदधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(7) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जो राज्य में ऐसे माल का आयात करता है या विनिर्माण करता है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, अपने विकल्प पर इस अधिनियम के अधीन ऐसे माल की विक्रय कीमत पर उसके द्वारा संदेय कर के बदले में ऐसे माल की अधिकतम खुदरा कीमत पर पूरी दर से कर, ऐसी रीति से संदत्त कर सकेगा जो विहित की जाये :

परन्तु जहां किसी व्यवहारी ने किसी भी माल का क्रय –

(क) उपर्युक्त आयातकर्ता या विनिर्माता से ऐसे माल की अधिकतम खुदरा कीमत पर कर का संदाय करके किया है ; या

(ख) अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से किया है जहां ऐसे माल की अधिकतम खुदरा कीमत पर कर राज्य में किसी पूर्वतर अवसर पर संदत्त कर दिया गया था,

क्रय करने वाला व्यवहारी इस बात का विचार किये बिना कि वह रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी है या नहीं ऐसे माल का राज्य में पुनर्विक्रय करते समय, इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, क्रेता से क्रय के समय पर उसके द्वारा संदत्त

कर की रकम ऐसी शर्तों और निर्बंधनों और ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर–भीतर जो विहित किया जाये, वसूल करने का हकदार होगा।''।

9. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 8 का संशोधन .– मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''8. कर से छूट .– (1) अनूसूची–1 में विनिर्दिष्ट माल ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कर से छूट प्राप्त होगा जो उनमें विनिर्दिष्ट की जायें।

(2) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करे, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से अनुसूची–1 को परिवर्धित या उसमें लोप या अन्यथा संशोधित या उपांतरित कर सकेगी और तत्पश्चात् अनुसूची तदनुसार संशोधित की हुई समझी जायेगी।

(3) राज्य सरकार लोक हित में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची–2 में यथाउल्लिखित किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के द्वारा किये गये विक्रय या क्रय को किसी भी शर्त के बिना या ऐसी शर्त के साथ जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से छूट दे सकेगी।

(4) राज्य सरकार, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र को प्रोन्नत करने या निर्यात को प्रोन्नत करने के प्रयोजन के लिए विक्रयों या क्रयों के किसी वर्ग के संबंध में इस अधिनियम के अधीन संदेय सम्पूर्ण कर के संदाय से ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट की मंजूरी अधिसूचित कर सकेगी जो अधिसूचना में अधिकथित की जायें।

(5) उप–धारा (4) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना उसके इस प्रकार जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए रखी जायेगी जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि, ऐसे सत्र, जिसमें वह इस प्रकार रखी गयी है या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान–मण्डल का सदन ऐसी किसी अधिसूचना में कोई भी उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो उक्त अधिसूचना तत्पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगी या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण तदधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।''।

10. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 13 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 13 की विद्यमान उप–धारा (3) में, अंत में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति ''का निर्धारण प्राधिकारी बना रहेगा।'' के पश्चात् अभिव्यक्ति ''जहां

निर्धारण प्राधिकारी का परिवर्तन चाहने वाले आवेदन की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर–भीतर अनुज्ञा की मंजूरी पर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो ऐसी अनुज्ञा मंजूर की हुई समझी जायेगी।'' जोड़ी जायेगी।

11. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 15 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 15 में ,–

(i) उप–धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में या नकद'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में या नकद या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की तीन वर्ष की बैंक प्रत्याभूति के रूप में'' प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(ii) उप–धारा (2) में, विद्यमान खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(क) लघुस्तरीय विनिर्माण इकाई के मामले में 10,000/– रु., मध्यमस्तरीय विनिर्माण इकाई के मामले में 15,000/– रु. और वृहत्स्तरीय विनिर्माण इकाई के मामले में 25,000/– रु. ; और

(ख) खण्ड (क) के अन्तर्गत नहीं आने वाले मामले में 10,000/– रु.।'';

और

(iii) धारा 15 की उप–धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''25,000/– रु. की रकम के राष्ट्रीय बचत पत्र या नकद रकम'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''10,000/– रु. की रकम के राष्ट्रीय बचत पत्र या नकद रकम या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की तीन वर्ष की बैंक प्रत्याभूति'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 17 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''तथापि, आयुक्त विशिष्ट मामलों में, कारण अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसा प्रतिदाय पहले मंजूर कर सकेगा।'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''तथापि, आयुक्त ऐसा करने के कारण अभिलिखित करने के पश्चात् किसी साधारण या विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा ऐसा प्रतिदाय पहले भी मंजूर करने का निदेश दे सकेगा।'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

13. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 18 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 18 की उप–धारा (3) के खण्ड (v) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''विक्रय करने वाले व्यवहारी को प्रस्तुत करके या अन्यथा'' हटायी जायेगी।

14. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 19 का प्रतिस्थापन .– मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''19. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को स्टॉक के लिए आगत कर मुजरा .– आगत कर मुजरा पूंजीगत माल से भिन्न माल पर अनुज्ञात किया जायेगा जिस पर निरसित अधिनियम के अधीन कर लग गया था और इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को व्यवहारी के स्टॉक में पड़ा रहा है बशर्ते ऐसे व्यवहारी ने निरसित अधिनियम की धारा 93 या इस अधिनियम की धारा 91 के अधीन आयुक्त द्वारा यथाअपेक्षित, ऐसे स्टॉक का ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया हो और स्टॉक में का ऐसा माल धारा 18 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग में लिया जाता है। तथापि, इस धारा के अधीन ऐसे माल पर आगत कर मुजरा निरसित अधिनियम के अधीन संदत्त कर या इस अधिनियम के अधीन ऐसे माल पर संदेय कर की रकम, जो भी कम हो, की सीमा तक अनुज्ञात किया जायेगा।''।

15. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 23 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 23 में, अभिव्यक्ति ''निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा'' के पश्चात् और विराम चिह्न ''।'' के पूर्व अभिव्यक्ति ''और इस प्रकार निर्धारित ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों की एक सूची इलेक्ट्रोनिक या प्रिण्ट मीडिया के माध्यम से प्रकाशित की जा सकेगी और ऐसा प्रकाशन, जहां कहीं भी अपेक्षित हो, ऐसे व्यवहारियों को सम्यक् सूचना समझा जायेगा'' अन्तःस्थापित की जायेगी।

16. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 53 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 53 में,–

(i) उप–धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''उसके देय होने की तारीख से ऐसी दर से ब्याज'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''उसके जमा होने की तारीख से ऐसी दर से ब्याज'' प्रतिस्थापित की जायेगी ; और

(ii) विद्यमान उप–धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप–धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :–

''(6) जहां कर विदेशी राजनयिक मिशन या उसके राजनयिकों या संयुक्त राष्ट्र निकायों या उनके राजनयिकों द्वारा किये गये किसी भी शासकीय या वैयक्तिक क्रय पर कर संगृहीत किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति या मिशन या, यथास्थिति, निकाय को आवेदन की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर–भीतर ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्रतिदत्त किया जायेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाये.।''।

17. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 56 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 56 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्रथम तीस दिन के लिए दो हजार रुपये की राशि शास्ति के रूप में और तत्पश्चात् निरन्तर व्यतिक्रम की दशा में

ऐसे व्यतिक्रम के लिए प्रतिदिन बीस रुपये अतिरिक्त'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''एक हजार रुपये से अनधिक की राशि'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

18. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 57 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 57 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''दो हजार रुपये की राशि शास्ति के रूप में और अपेक्षित प्रतिभूतियां अतिरिक्त प्रतिभूति दिये जाने तक प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये अतिरिक्त'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''दो हजार रुपये से अनधिक की राशि शास्ति के रूप में और अपेक्षित प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति दिये जाने तक प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपये अतिरिक्त'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

19. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 58 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 58 में विद्यमान खण्ड (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(i) ऐसे मामले में, जिसमें व्यवहारी से धारा 20 के अधीन प्रतिमास कर संदत्त करने की अपेक्षा की जाती है तो ऐसी कालावधि के लिए जिसके दौरान ऐसी विवरणी देने में व्यतिक्रम चालू रहता है, प्रत्येक दिन के लिए दस रुपये के बराबर, किन्तु कुल मिलाकर इस प्रकार निर्धारित कर के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक राशि ; और

(ii) समस्त अन्य मामलों में, ऐसी कालावधि के लिए जिसके दौरान ऐसी विवरणी देने में व्यतिक्रम चालू रहता है, पांच सौ रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक दिन के लिए पांच रुपये के बराबर राशि,–''।

20. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 59 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 59 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''पांच हजार रुपये की राशि शास्ति के रूप में और व्यतिक्रम चालू रहने की दशा में, ऐसे चालू रहने के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये की अतिरिक्त'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''पांच हजार रुपये से अनधिक की राशि शास्ति के रूप में और व्यतिक्रम चालू रहने की दशा में, ऐसे चालू रहने के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये की अतिरिक्त'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

21. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 62 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 62 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''एक हजार रुपये की राशि शास्ति के रूप में'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''एक हजार रुपये से अनधिक की राशि शास्ति के रूप में'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

22. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 63 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 63 की उप–धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''जो न काटे जाने के मामले में, काटे जाने के लिए अपेक्षित कर की रकम का बीस प्रतिशत होगी और इस प्रकार काटी गयी किन्तु निक्षिप्त न की गयी रकम पर ऐसी कालावधि के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम चालू रहता है, तीन प्रतिशत प्रतिमास की दर से'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''न काटे जाने के मामले में, एक हजार रुपये तक की हो सकेगी, और इस प्रकार काटी गयी किन्तु निक्षिप्त न की गयी रकम पर ऐसी कालावधि के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम चालू रहता है, दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

23. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 64 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 64 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''दो हजार रुपये की राशि शास्ति के रूप में और व्यतिक्रम चालू रहने के मामले में, ऐसे चालू रहने के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये अतिरिक्त'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''दो हजार रुपये से अनधिक की राशि शास्ति के रूप में और व्यतिक्रम चालू रहने के मामले में, ऐसे चालू रहने के प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपये अतिरिक्त'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

24. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 67 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 67 की उप–धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''अधिकारिता रखने वाले उप–आयुक्त (प्रशासन) की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात्, कोई शिकायत किये जाने पर वह अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो तीन वर्ष का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा। तथापि, खण्ड (ख), (ग), (च), (छ) और (झ) के अधीन आने वाले अपराधों के लिए वह, दोषसिद्धि पर, बारह मास के सादा कारावास के न्यूनतम दण्डादेश से दण्डनीय होगा किन्तु समुचित मामलों में न्यायालय बारह मास से कम का दण्डादेश दे सकेगा।'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयुक्त की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात्, शिकायत किये जाने पर, वह, अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के सादा कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी और पांच हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से और खण्ड (ख), (ग), (च), (छ) और (झ) के अधीन आने वाले अपराधों के लिए तीन मास के सादा कारावास के न्यूनतम दण्डादेश से दण्डनीय होगा।''।

25. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 68 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 68 में,–

(i) उप–धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''डेढ़ गुने के बराबर की राशि'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''के बराबर की राशि'' प्रतिस्थापित की जायेगी ; और

(ii) विद्यमान उप–धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(3) उप–धारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, धारा 75 की उप–धारा (8) के अधीन या धारा 76 की उप–धारा (6) या (9) या (11) के अधीन अपने द्वारा किये गये अपराध को स्वीकार करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आवेदन किये जाने पर, धारा 75 की उप–धारा (4) के अधीन सशक्त अधिकारी या, यथास्थिति, जांच चौकी का प्रभारी ऐसे व्यक्ति से शास्ति या अभियोजन के बदले शमन–धन स्वीकार कर सकेगा जो,–

(क) धारा 75 की उप–धारा (8) या धारा 76 की उप–धारा (6) के अधीन किये गये अपराध के मामले में अन्तर्वलित माल पर उद्ग्रहणीय कर की चार गुनी रकम के या ऐसे माल के मूल्य की पच्चीस प्रतिशत के, इनमें से जो भी कम हो, बराबर होगा ;

(ख) धारा 76 की उप–धारा (9) के अधीन उसके द्वारा किये गये अपराध के मामले में माल के मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर होगा;

(ग) धारा 76 की उप–धारा (11) के अधीन किये गये अपराध के मामले में ऐसे माल के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत के बराबर होगा।''।

26. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 75 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 75 की उप–धारा (8) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''ऐसे माल के मूल्य के तीस प्रतिशत के बराबर शास्ति'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय कर की पांच गुना रकम के या ऐसे माल के मूल्य के तीस प्रतिशत के, इनमें से जो भी कम हो, बराबर शास्ति'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

27. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 76 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 76 में,–

(i) उप–धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयुक्त द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी'' प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(ii) विद्यमान उप–धारा (11) और (12) को उप–धारा (12) और (13) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा ;

(iii) विद्यमान उप–धारा (10) के पश्चात् और पुनःसंख्याकित उप–धारा (12) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप–धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :–

''(11) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होने पर भी, जहां यान या वाहक का ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति उप–धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन यथाउपबंधित, निकटतम जांच–चौकी पर यान या वाहक को लाने या रोकने में प्रविरत रहता है वहां जांच–चौकी का प्रभारी या उप–धारा (4) के अधीन सशक्त किया गया अधिकारी ऐसे यान या वाहक को निरुद्ध कर सकेगा और

स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति या यान या वाहक के ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।'' ; और

(iv) पुनःसंख्याकित उप–धारा (12) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''या कूटरचित दस्तावेजों के साथ'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''या मिथ्या या कूटरचित दस्तावेजों के साथ'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

28. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 77 का संशोधन .– मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 77 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''77. संविदा आधार पर जांच–चौकी की स्थापना .– (1) जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि कोई विभागीय जांच–चौकी स्थापित किये बिना, समस्त प्रकार के सभी रूपों में इमारती पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट, गिट्टी, बजरी, धारा 2 के खण्ड (8) के अधीन विनिर्दिष्ट समस्त अन्य माल और पशुओं के संबंध में किसी विशेष जांच–चौकी या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए, संविदा आधार पर कर की राशि संगृहीत करना लोक हित में है वहां, वह किसी संविदा के माध्यम से, एक बार में दो वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए ऐसी जांच–चौकी पर या ऐसे क्षेत्र के लिए, ऐसी दरों पर, जो इस अधिनियम के अधीन समय–समय पर अधिसूचित की जायें, ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जायें, ऐसा कर संगृहीत करने के लिए आयुक्त को निदेश दे सकेगी।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऊपर निर्दिष्ट माल के क्रय, प्रदाय, वितरण, वहन या अन्यथा व्ययन को अन्तर्वलित करने वाले किसी भी संव्यवहार को विक्रय के रूप में अर्थान्वित किया जायेगा।

(2) उप–धारा (1) के अन्तर्गत का कोई संविदाकार कर की दर की किसी भी वृद्धि या कमी या कर से छूट देने के फलस्वरूप पुनरीक्षण के अध्यधीन रहते हुए संगृहीत कर की पूर्ण रकम ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर–भीतर निक्षिप्त करेगा, जो विहित किया जाये और इस अधिनियम के, वसूली और ब्याज के उपबंधों सहित, सभी उपबंध यावत्शक्य ऐसे संविदाकार को लागू होंगे।

(3) जहां उप–धारा (1) में की गयी संविदा की कालावधि समाप्त हो जाती है और कोई और संविदा नहीं की जाती है वहां वही संविदा, आयुक्त द्वारा, तीन मास की और कालावधि के लिए या अगली संविदा करने की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ायी जा सकेगी और बढ़ी हुई कालावधि मूल संविदा के निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होगी।

(4) संविदाकार उप–धारा (1) के अधीन माल पर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय कर की रकम से अधिक कर संगृहीत नहीं करेगा।

(5) जहां कोई संविदाकार उप–धारा (4) के उपबंधों का अतिक्रमण करता है वहां, आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई भी अधिकारी, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, निदेश करेगा कि ऐसा संविदाकार, संगृहीत अधिक कर की रकम के अतिरिक्त, उसके या उसकी ओर से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा संगृहीत अधिक कर की रकम के दुगुने के बराबर राशि शास्ति के रूप में संदत्त करेगा।

(6) जहां कोई संविदाकार संविदा के किन्हीं भी निबंधनों या शर्तों का अतिक्रमण करता है, वहां आयुक्त, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् और कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, किसी भी समय संविदा को समाप्त कर सकेगा और संविदा के अधीन यथा–नियत कर की पूरी रकम वसूल करने के लिए इस प्रकार प्राधिकृत होगा मानो ऐसी रकम इस अधिनियम के अधीन कर की कोई मांग थी।''।

29. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 80 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 80 में,–

(i) पार्श्व शीर्षक में विद्यमान अभिव्यक्ति ''अनुज्ञप्ति प्राप्त'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''प्रमाणपत्र प्राप्त'' प्रतिस्थापित की जायेगी ; और

(ii) उप–धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

30. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 83 का संशोधन .– मूल अधिनियम की धारा 83 की उप–धारा (1) में,–

(i) विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः–

''(क) धारा 26 की उप–धारा (2), धारा 36, धारा 77 या धारा 85 के अधीन आयुक्त के द्वारा पारित कोई आदेश ; '' ;

(ii) विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः–

''(ख) इस अधिनियम के अधीन उप–आयुक्त (प्रशासन) द्वारा पारित आदेश;'';

(iii) विद्यमान खण्ड (ग) में, अन्त में आये विराम चिह्न ''।'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''; और'' प्रतिस्थापित की जायेगी ; और

(iv) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

''(घ) इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन या धारा 20 की उप–धारा (3) के अधीन अधिसूचित प्रोत्साहन, छूट या आस्थगन स्कीमों के अधीन राज्य स्तरीय छानबीन समिति या जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा पारित कोई आदेश।''।

31. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 में, अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का अन्तःस्थापन .– मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 100 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूचियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :–

''अनुसूची–1
(धारा 8 की उप–धारा (1) देखिए)
ऐसा माल जिसका विक्रय या क्रय कर से छूट प्राप्त है

क्र.सं.	माल का विवरण	शर्तें, यदि कोई हों
1	2	3
1.	हस्तचालित या पशु चालित कृषिक उपकरण, उनके कलपुर्जे और उप साधन, अर्थात् :– (क) साधारण कृषिक उपकरण – 1. हैण्ड हो (खुरपा या खुरपी); 2. फावड़ा; 3. गंडासा; 4. पिक अर्थात् कुदाली; 5. कुल्हाड़ी; 6. खांटा; 7. बेलचा; 8. पटेला; 9. हस्तचालित कुट्टी–कटा और उनके पुर्जे (बोल्टों, नटों और स्प्रिंगों को छोड़कर); 10. दराती; 11. बेगुरी; 12. हस्तचक्र कुदाली; 13. बागवानी के औजार यथा बर्डिंग, उपरोपण छुरी, सेकाट्यूर, प्रनिंग शियर या हुक, बाढ़ शियर, स्प्रिंकलर, रेक; 14. स्प्रेयर, डस्टर और स्प्रेयर कम डस्टर; 15. मृदा अन्तःक्षेपक; 16. जान्द्रा; 17. चक्रवाहिका; 18. निष्पवन पंखा या निष्पवित्र; 19. छिद्र रोपक; 20. प्रधुनक; 21. उर्वरक बीज विकिरण; 22. मक्का वितुषक; 23. मूंगफली अपवल्कक; 24. खाद या बीज प्रच्छारक; 25. फ्लेमगन; 26. बीज श्रेणी बन्धक; 27. तसला (लौह धातु से निर्मित घमेला, तगारी और परात सहित); 28. तंगली; 29. स्प्रेयर या बूंद–बूंद सिंचाई उपस्कर। (ख) पशुचालित कृषि उपकरण – 1. हल जिसमें बिम्ब हल सम्मिलित है; 2. हल के दांतें; 3. हैरो; 4. कल्टीवेटर; 5. बीज वपित्र, उर्वरक	

	वपित्र, बीज एवं उर्वरक वपित्र; 6. उत्कषक बीजन आसज्जनों सहित या रहित; 7. भू–समतलक या प्रदवी; 8. कुट्टी–कटे और उनके कलपुर्जे सिवाय बोल्टों, नटों और स्प्रिंगों के; 9. पशु चालित वाहनों के धूरे और प्रधियां; 10. रहट और अतिरिक्त कलपुर्जे; 11. बेलन; 12. युग; 13. रोपक; 14. फलका या प्लव; 15. कूट कटक; 16. खातकर; 17. बांध फार्मर; 18. निष्तुषक या पल्ला; 19. प्रतिरोपक; 20. अभिलवक; 21. लवक; 22. इक्षु रस पीड़ित्र; 23. इक्षु रस बुदबुदन काढ़ाई और झरझरी; 24. गाड़ी।	
2.	निःशक्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले सहाय और उपकरण/कृत्रिम श्रवण सहाय, कृत्रिम अंग ओडियोमीटर, ब्रेल राइटर, ब्रेल टाइपराइटर, ब्रेल आशुलिपि राइटर, ब्रेल फ्रेम, ब्रेल उपकरण, ब्रेल थर्मामीटर, ब्रेल लेक्टोमीटर, ब्रेल बैरोमीटर, ब्रेल प्रिंटिंग मशीन, ब्रेल पेपर, ब्रेल पुस्तकें, ब्रेल स्लेट और ब्रेल घड़ी, निःशक्त व्यक्तियों के लिए बैशाखियां और कैलीपर्स, स्पीच ट्रेनर, निःशक्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली तिपहिया साइकिल, निःशक्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली पहिये वाली कुर्सी।	
3.	एक्वैटिक फीड, मुर्गी दाना, घास, हे और स्ट्रा, दालों की चूरी और भूसी, कन्सण्ट्रेट्स और एडीटिव्ज और तेल रहित खल सहित पशु आहार।	
4.	पान के पत्ते।	
5.	नक्शों, चार्टों और ग्लोब सहित पुस्तकें, नियत कालिक पत्रिकाएं और जर्नल्स।	
6.	लकड़ी का कोयला।	
7.	धान, चावल और गेहूँ से भिन्न कोअर्स ग्रेन।	
8.	कण्डोम और गर्भनिरोधक।	
9.	हेंक में कॉटन और सिल्क धागे।	
10.	चरखा, अम्बर चरखा, हैण्डलूम हस्तशिल्प और उनके भाग और उप साधन, हैण्डलूम फैब्रिक्स, गांधी टोपी, खादी के सभी वस्त्र/माल और उससे बने हुए सामान।	
11.	दही, लस्सी, बटर मिल्क, सपरेटा दूध।	
12.	विद्युत ऊर्जा।	
13.	मिट्टी के बर्तन।	
14.	बेशुरियाना और यूकेलिप्टस टिंबर के सिवाय जलाने की	

	लकड़ी, गोबर के कण्डे।	
15.	यू एच टी मिल्क और स्किम्ड मिल्क पाऊडर से भिन्न ताजा दूध और पाश्चरीकृत दूध।	
16.	ताजा पौधे, बालवृक्ष और ताजा फूल।	
17.	मछली पकड़ने का जाल और मछली पकड़ने के जाल के फैब्रिक्स, मछली दाने, झींगा/समुद्री केंकड़ा के दाने।	
18.	ताजी सब्जियां और फल।	
19.	लहसुन और अदरक।	
20.	सभी प्रकार की चूड़िया (कीमती धातुओं से बनी हुई को छोड़कर)।	
21.	मानव रक्त और रक्त प्लाज़मा।	
22.	स्वदेशी हस्तनिर्मित वाद्य यन्त्र, उनके घटक और कलपुर्जे।	
23.	कुमकुम, बिन्दी, अल्ता और सिन्दूर, महावर, काजल, सुरमा, हेयरपिन, हेयरबैण्ड, हेयर क्लिप (कीमती धातुओं से बनी हुई से अन्यथा), रबर बैण्ड, सेफ्टी पिन, चुटीला।	
24.	मीट, मछली, झींगा और अन्य जलीय उत्पाद जब अभिशोषित या हिमशीतित न हों, अण्डे, पशुधन और पशुओं के बाल।	
25.	राष्ट्रीय ध्वज।	
26.	आर्गेनिक खाद।	
27.	सरकारी खजाने द्वारा विक्रीत नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर, सरकारी रुपये या चैक द्वारा विक्रीत पोस्टल मद जैसे लिफाफा, पोस्टकार्ड इत्यादि।	
28.	कच्ची ऊन।	
29.	हिमशीतित वीर्य सहित वीर्य।	
30.	स्लेट और स्लेट पेंसिल।	
31.	रेशम का कोया तैयार करने वाला रेशम का कीड़ा और कच्चा रेशम।	
32.	मृदु हरा नारियल।	
33.	टोडी, नीरा और अक्र।	
34.	ब्रेड (ब्राण्डवाली या अन्यथा) पिज्जा ब्रेड को छोड़कर।	
35.	नमक (ब्राण्डवाला या अन्यथा)।	
36.	वातित, मिनरल, आसुत, औषधीय, आयनिक, बैट्री, गैर मिनरल और पात्र में विक्रीत जल से भिन्न जल।	
37.	पापड़, बड़ी और मंगोड़ी।	
38.	विनिर्माण या अन्यथा के पश्चात् पुनः निर्यात के लिए	

	कस्टम ब्राण्ड के अधीन लिया गया माल।	
39.	टैक्सटाइल (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क)।	
40.	तम्बाकू (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क)।	
41.	चीनी (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क)।	
42.	कृपाण।	
43.	प्रसाद के भाग के रूप में मिश्री, बताशा, पंचामृत, नमाकट्टी और विभूति को सम्मिलित करते हुए धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रसादम्।	
44.	राखी और यज्ञोपवीत के रुप में सामान्य रुप से ज्ञात पवित्र धागा।	
45.	कलैण्डर और पंचांग के रुप में उपयोग में नहीं आने वाली धार्मिक तस्वीरें।	
46.	चॉक, स्टिक और तख्ती।	
47.	क्ले या प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई मूर्तियां और क्ले लैम्प।	
48.	सरकण्डे के बने मुड्ढे, फूल बाहरी झाड़ू और ब्राण्डरहित झाड़ू	
49.	मूरी के रुप में ज्ञात पफ्ड राइस, चीरा के रूप में ज्ञात फ्लेटण्ड और बीटण्ड राइस और खोई के रुप में ज्ञात भुने हुए चावल, खील, मुरमुरा, पोहा और भुने हुए चने।	
50.	मूंगफली की भूसी को सम्मिलित करते हुए भूसी।	
51.	पत्तल और दोने – प्रेस्ड या स्टिच्ड।	
52.	पतंग।	
53.	कुट्टू और सिंघाड़े का आटा।	
54.	लोबान, धूप, हस्तनिर्मित अगरबत्ती, दीपक, पूजा की घण्टी, शंख, रोली और मोली।	
55.	ब्लू पॉटरी और कठपूतलियों को सम्मिलित करते हुए हस्तशिल्प।	
56.	घास, सब्जियों और फूलों के बीज।	

अनुसूची–2
(धारा 8 की उप–धारा (3) देखिए)
व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट

क्र.सं.	व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग	शर्तें
1	2	3
1.	संयुक्त राष्ट्र संगठन और उसकी घटक एजेन्सिया	

2.	विदेशी राजनयिक मिशन और उनके राजनयिक	

अनुसूची–3

(धारा 4 देखिए)

1 प्रतिशत की दर से कराधेय माल

क्र.सं.	माल का विवरण
1	2
1.	बुलियन
2.	सोना और चांदी तथा प्लेटीनम आभूषण
3.	मूल्यवान और अर्धमूल्यवान जेम्स और रत्न, सिन्थेटिक जेम्स और रत्न (खरड़ सहित), मोती (चाहे वास्तविक हो या कलचरी), गोमेद और हीरा

अनुसूची–4

(धारा 4 देखिए)

4 प्रतिशत की दर से कराधेय माल

क्र.सं.	माल का विवरण
1	2
1.	कृषि उपकरण जो हस्त चालित या पशु चालित न हो।
2.	संचार के समस्त उपस्कर जैसे, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेन्ज (पी.बी.एक्स) और इलेक्ट्रोनिक प्राइवेट स्वचालित ब्रांच एक्सचेंज (ई.पी.ए.बी.एक्स) और उसके घटक और उसके पुर्जे।
3.	सभी अमूर्त माल जैसे प्रतिलिप्याधिकार, पेटेन्ट, आर.ई.पी. लाईसेन्स आदि।
4.	फ्लाई ऐश की ईटों, रिफ्रेक्टरी ईटों, डामर की छत, मिट्टी की टाइलें और रिफ्रेक्टरी मोनोलिथिक को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार की ईटें।
5.	सभी धात्विक कास्टिंग।
6.	हेंक में कॉटन और रेशमी धागा और सिलाई का धागा और छीजत को छोड़कर सभी प्रकार के धागे।
7.	कीमती धातुओं के बने बर्तनों को छोड़कर प्रेशर कुकर/पैनों को सम्मिलित करते हुए सभी बर्तन
8.	पशुओं के पावों की नालें
9.	अप्पलम, वडम् और वाथल
10.	अक्रनट पाउडर और सुपारी

11.	रोल्ड गोल्ड से बनी वस्तुएं और नकली ज्वैलरी
12.	अटुकुलु
13.	बांस
14.	बांस की चटाई
15.	बियरिंग
16.	चद्दर, तकिये का गिलाफ और अन्य कपड़े के बने सामान
17.	बीड़ी के पत्ते और तेंदू पत्ते
18.	मधुमक्खी के छत्ते
19.	बैल्टिंग्स
20.	साइकिल, ट्राइसाइकिल, साइकिल रिक्शा और उनके कलपुर्जे, उपसाधन, टायर और ट्यूब
21.	जैव–उर्वरक और माइक्रो न्यूट्रियन्टस, पादपर्वधन उन्नायक और रेगूलेटर, शाकनाशी, मूसमार, कीटनाशी, धासपातनाशी आदि
22.	बिटूमिन
23.	बोनमील
24.	लोहा और इस्पात, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या अन्य पदार्थों (कीमती पदार्थों को छोड़कर) से बनी बाल्टियां
25.	बुखारी
26.	मोमबत्तियाँ
27.	पूंजीगत माल
28.	पानी खींचने के अपकेन्द्री और मोनोब्लोक और सबमर्सिबल पम्प सैट और उनके कलपुर्जे
29.	रासायनिक उर्वरक, कृमिनाशी
30.	चिकन उत्पाद
31.	अग्नि मिट्टी, फाइन चीनी मिट्टी, बाल क्ले को सम्मिलित करते हुए मिट्टी
32.	कोलतार
33.	नारियल का रेशा
34.	खोपरा से भिन्न साबुत नारियल और नारियल की अलग से गीरी
35.	काफी बीन्स और बीज, कोको पोड और बीन्स, हरी चाय की पत्ती और चिकोरी
36.	नारियल का रेशा और नारियल के रेशे के उत्पाद, नारियल के रेशे के गद्दों को छोड़कर
37.	कंघे
38.	कम्प्यूटर स्टेशनरी
39.	कॉटन और कॉटन की छीजत
40.	मूषा

41.	कागज और प्लास्टिक के कप और गिलास
42.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथा विनिर्दिष्ट घोषित माल
43.	टीकों को सम्मिलित करते हुए ओषधियां और औषध, ओषधि लाईसेन्स के अधीन उत्पादित सिरिंज और पट्टियां, मेडीकेटेड ओइन्टमेन्ट, आई.पी. ग्रेड का हल्का तरल पैराफिन
44.	खाद्य तेल और खल
45.	इलेक्ट्रोड्स
46.	कढ़ाई या जरी के सामान अर्थात, इम्मी, जरी, कशब, साईमा, दबका, चुमकी, गोटा सितारा, नक्सी, कोरा, ग्लास बीड, बादला
47.	अभ्यास पुस्तिका, ग्राफ पुस्तिका, प्रयोग शाला नोटबुक
48.	फीडिंग बोतलें, निप्पलें
49.	लौह और अलौह धातुएं और मिश्र धातुएं, अधातुएं जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता और उनके निःस्रवण
50.	सभी प्रकार के फाईबर और फाईबर की छीजत
51.	आटा, मैदा, सूजी, बेसन आदि
52.	फ्लाई ऐश
53.	तले हुए और भुने हुए चने
54.	गब्बा
55.	गुड़, जैगरी और राब गुड़ की खाद्य किस्में
56.	जिप्सम
57.	हैण्डपम्प और कलपुर्जे और फिटिंग्स
58.	हस्तनिर्मित माचिस
59.	धूप, अगरबत्ती, संब्रनी और लोबान सहित हवन सामग्री
60.	जड़ी बूटी, छाल, सूखे पौधे, सूखी जड़, सामान्यतया जड़ी बूटी के रूप में ज्ञात और सूखे फूल
61.	शहद
62.	होजपाइप और उसकी फिटिंग्स
63.	होजरी का सामान
64.	अनाज की भूसी और चोकर
65.	कम्प्यूटरों को सम्मिलित करते हुए आई.टी. उत्पाद, टेलीफोन और उनके पुर्जे, सेलफोन, डी.वी.डी., सीडी, टेलीप्रिन्टर और वायरलैस उपस्कर और उनके पुर्जे
66.	बर्फ
67.	सामान्यतया अगरबत्ती के रूप में जाने जानी वाली सुगंधित स्टिक, धूपकाथी या धूपबत्ती
68.	औद्योगिक केबल (हाईवाल्टेज केबल, एक्स एल पी ई केबल, जेली फिल्ड

	केबल, आप्टिकल फाइबर केबल)
69.	राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित औद्योगिक इन्पुट
70.	इन्सूलेटर
71.	कांगरी
72.	कत्था
73.	सा.वि.प्र. की मार्फत विक्रीत केरोसीन तेल
74.	केरोसीन लैम्प–लालटेन, पेट्रोमेक्स, कांच की चिमनी
75.	खाण्डसारी
76.	खोया/खोआ
77.	बुनाई वाली ऊन
78.	लाई
79.	पत्तल और दोनें
80.	लिग्नाइट
81.	चूना, चूना पत्थर, किलन्कर और डोलोमाइट
82.	लिनियर अल्काइल बेन्जीन, एल.ए.बी. सल्फोनिक ऐसिड, अल्फा ओलेफिन सल्फोनेट
83.	लोई
84.	गोलामाथी, मदुरकथी और साइपरस के रूप में जाने जानी वाली साइपरकस कोराइमलोसस से पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से बनी स्थानीय रूप से मदुर के रूप में ज्ञात मैट
85.	साइपरस काठी, मूथा या सादूपरस मेलेक्सेनसिस से प्राप्त मैट स्टिक और रीड
86.	चिकित्सीय उपस्कर–डिवाइसेज और इम्प्लाण्ट्स
87.	मेखला चद्दर
88.	मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर, हवाई चप्पलें और उनके स्ट्रेप्स
89.	मुरमुरालु, पीलालु
90.	नापा स्लेब्स (खुरदुरे फर्श पत्थर) और शाहाबाद पत्थर
91.	निवार
92.	गैर यंत्रचालित नावें
93.	नट बोल्ट, स्क्रू और फास्टनर
94.	तिलहन
95.	अयस्क और खनिज
96.	पैकिंग सामग्री
97.	साबुत दाने, आधे टूटे हुए या टूटे हुए रूप में पेडी, चावल, गेहूँ और दालें
98.	कागज, अखबार का कागज, पेपर बोर्ड और उसकी छीजत
99.	पट्टू

100.	जी.आइ.पाइप, सी आइ पाइप, डक्टाइल पाइप, पी वी सी पाइप आदि को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के पाइप और फिटिंग
101.	पिज्जा ब्रेड
102.	प्लांटेन लीव्ज
103.	प्लास्टिक पाउडर, मास्टर बैचेज और स्क्रेप
104.	दलिया
105.	डायरी, कलैण्डर आदि को सम्मिलित करते हुए मुद्रित सामग्री
106.	टॉनर और कार्टरिज को छोड़ते हुए मुद्रण की स्याही
107.	प्रसंस्कृत मीट, मुर्गी पालन और मछली
108.	फ्रूट जैम, जैली, अचार, फ्रूट स्कवैश, पेस्ट, फ्रूट ड्रिंक और फ्रूट ज्यूस (चाहे डिब्बा बंद हो या अन्यथा) को सम्मिलित करते हुए प्रसंस्कृत या परिरक्षित सब्जियां और फल
109.	बांस, लकड़ी और कागज की लुगदी
110.	क्वांदाकारी
111.	रेल के कोच, इंजिन और वैगन और उनके पुर्जे
112.	रत्तन, रीड (मलयालम में)
113.	सिले सिलाये वस्त्र
114.	नवीकरणीय ऊर्जा युक्तियां और कल पुर्जे
115.	चावल की भूसी
116.	नदी की रेत
117.	सबाई घास और रस्सी
118.	माचिस
119.	सत्तू
120.	सिलाई मशीन, उसके पुर्जे और उप साधन
121.	जहाज और अन्य जलपोत
122.	जब तक कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के अतंर्गत न आये हैण्डलूम की रेशम को छोड़कर, रेशमी फेब्रिक
123.	सिराली, बागेशी, बारु, खजूर की पत्तियां, बास्केट्स, केवल बांस से बने हुए हाथ से निर्मित सूमा और जर्मा
124.	स्किम्ड मिल्क पाउडर और यू एस टी मिल्क
125.	ओर्गेनिक साल्वेन्ट आयल से भिन्न साल्वेन्ट आयल
126.	चश्में उनके पुर्जे और घटक, कॉन्टेक्ट लैंस और लैंस क्लीनर
127.	जीरा, एनीसीड, हल्दी, सूखी लाल मिर्च और हींग को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार की किस्मों और रूपों में मसाले
128.	पोशाकों और फुटवियर को छोड़कर खेलकूद के सामान
129.	स्टेनलेस स्टील की चद्दरें
130.	स्टार्च और सागो

131.	चीनी जब तक कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के अंतर्गत न आये और खाण्डसारी
132.	स्वीट मीट
133.	इमली, इमली के बीज और पाउडर
134.	टेपीयोका
135.	चाय
136.	तम्बाकू जब तक कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के अंतर्गत न आये
137.	औजार
138.	इलेक्ट्रोनिक खिलोनों को छोड़कर खिलौने
139.	ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर और उनके उप साधन और पुर्जे
140.	ट्रांसफार्मर
141.	ट्रांसमिशन टावर
142.	छाता, बगीचे की छतरी और उसके भाग
143.	अप्रसंस्कृत हरी चाय की पत्तियां
144.	काम मे ली हुई कारें
145.	वनस्पति (हाइड्रोजनीकृत वेजिटेबल ऑयल)
146.	जिंजली ऑयल और ब्रान ऑयल को सम्मिलित करते हुए वनस्पति ऑयल
147.	गीले खजूर
148.	विलो विकर
149.	वुडन क्रेट्स
150.	लिखने की स्याही
151.	लिखने के उपकरण, ज्योमेट्री बॉक्स, कलर बॉक्स, क्रेयोन्स और पेन्सिल शार्पनर्स

अनुसूची–5
(धारा 4 देखिए)
12.5 प्रतिशत की दर से कराधेय माल

क्र.सं.	माल का विवरण
1	2
1.	ऐसा माल जो अधिनियम की किसी भी अन्य अनुसूची या अधिनियम की धारा 4 के अधीन जारी की गयी किसी अधिसूचना के अन्तर्गत नहीं आता है।

अनुसूची–6
(धारा 4 देखिए)
20 प्रतिशत और उससे अधिक की दर से कराधेय माल

क्र.सं.	माल का विवरण	कर की दर %
1	2	3
1.	विमानन स्प्रिट	20
2.	विदेशी शराब	20
3.	हाई एण्ड लाइट स्पीड डीजल आयल	20
4.	शीरा	20
5.	परिशोधित स्प्रिट	20
6.	पेट्रोल	28
7.	भांग	50
8.	अफीम	50''

अध्याय 4

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

32. 1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11 में धारा 4–घ का अंतःस्थापन.– राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की विद्यमान धारा 4–ग के पश्चात् और विद्यमान धारा 5 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अतः स्थापित की जायेगी, अर्थात् :–

''4–घ ग्रीन कर का उद्ग्रहण.– (1) अधिनियम की धारा 4, 4–ख और 4–ग के अधीन उद्गृहीत कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा–विनिर्दिष्ट, सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त ऐसे यानों पर, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत दरों पर जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकतम दरों से अधिक न हों, ''ग्रीन कर'' के नाम से उपकर उद्गृहीत और संग्रहीत किया जायेगा।

सारणी

क्र. सं.	यान का वर्ग और आयु	उपकर की अधिकतम दर (रुपयों में)
1	2	3
1.	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उप–धारा (10) के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के	

	नवीकरण के समय ऐसे गैर–परिवहन यान जो उनकी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण कर चुके हैंः– (क) दुपहिया (ख) दुपहिया से भिन्न	 750.00 1500.00
2.	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 56 के अनुसार सही हालत में होने के प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय ऐसे परिवहन यान जो उनकी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 7 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं।	600.00 प्रति वर्ष

(2) अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंध, उनको छोड़कर जो कर के प्रतिदाय से संबंधित हैं, जहां तक हो सके उप–नियम (1) के अधीन संदेय उपकर के अधिरोपण, संदाय, संगणना और वसूली के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर के अधिरोपण, संदाय, संगणना और वसूली पर लागू होते हैं।''

अध्याय 5
राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

33. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.– राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,–

(i) विद्यमान खण्ड (i) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ii) के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः–

''(ik) 'संगम' से अभिप्रेत है कोई भी व्यष्टि संगम, विनिमय दलाल, या व्यक्तियों का कोई भी अन्य संगठन या निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, और जो किसी भी माल या विपण्य प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय के कारबार या उससे संबंधित अन्य संव्यवहार का विनियमन या नियंत्रण या संचालन कर रहा हो।''

(ii) विद्यमान खण्ड (xiii) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्ः–

''स्पष्टीकरण.– शब्दों ''हस्ताक्षरित'' और ''हस्ताक्षर'' में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 11 के अनुसार इलैक्ट्रानिक रिकार्ड का संकेतन भी सम्मिलित है।''

(iii) विद्यमान खण्ड (xix) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

''स्पष्टीकरण.– शब्द ''दस्तावेज'' में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उप–धारा (1) के खण्ड (न) में यथा–परिभाषित कोई इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी सम्मिलित है।''

(iv) विद्यमान खण्ड (xxxv) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''(xxxvi) ''स्टाक एक्सचेंज'' से प्रतिभूतियों के क्रय, विक्रय या संव्यवहार के कारबार में सहायता, उसके विनियमन या नियंत्रित के प्रयोजन के लिए गठित व्यष्टियों का कोई निकाय चाहे, निगमित हो या नहीं, अभिप्रेत है।''

34. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 85 का संशोधन.– मूल अधिनियम की धारा 85 की उप–धारा (1) में, अभिव्यक्ति ''प्रत्येक लोक अधिकारी,'' के पश्चात् और अभिव्यक्ति ''जिसकी अभिरक्षा में कोई'' के पूर्व अभिव्यक्ति ''या धारा 2 के खण्ड (ik) और (xxxvi) में निर्दिष्ट संगम या स्टॉक एक्सचेंज'' अंतःस्थापित की जायेगी।

35. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.– मूल अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 5 के पश्चात् और अनुच्छेद 6 के पूर्व अनुच्छेद 5–क जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

''5–क किसी व्यापारिक सदस्य द्वारा धारा 2 के खण्ड (ik) और (xxxvi) में निर्दिष्ट किसी संगम या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कार्यान्वित संव्यवहार का अभिलेख (इलैक्ट्रानिक या अन्यथा)'',	
(क) यदि सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय और क्रय से संबंधित हो।	प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक करोड़ रुपये या उसके भाग के लिए पचास रुपये।
(ख) यदि उपर्युक्त मद (क) के अधीन आने वाली से भिन्न प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय से संबंधित हो.–	
(i) परिदान के मामले में	प्रत्येक 10,000 रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया।

	(ii) अपरिदान के मामले में	प्रत्येक 10,000 रुपये या उसके भाग के लिए बीस पैसे।
(ग)	यदि भावी और विकल्प व्यापार से संबंधित हो।	प्रत्येक 10,000 रुपये या उसके भाग के लिए बीस पैसे।
(घ)	यदि किसी संगम के माध्यम से या अन्यथा व्यापार की गयी वस्तुओं की अग्रिम संविदा से संबंधित हो।	प्रत्येक 1,00,000 रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया।

स्पष्टीकरण–1 इस अनुच्छेद के अधीन संदत्त कोई शुल्क अनुच्छेद 5, 18, 34, 40 या, यथास्थिति, 52 के अधीन प्रभार्य शुल्क, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित की जायेगी।

स्पष्टीकरण–2 खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए प्रतिभूति का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में परिभाषित है।

अध्याय 6
राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) अधिनियम, 1990 का निरसन

36. 1991 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 का निरसन. – राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन अधिनियम, 1990) (1991 का अधिनियम सं. 11) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

अध्याय 7
भूमि कर

37. प्रसार और प्रारंभ .– (1) इस अध्याय का प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

38. परिभाषाएं .– इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,–

(क) ''अपील प्राधिकारी'' से राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र के लिए इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) ''निर्धारण प्राधिकारी'' से राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र के लिए इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) ''भूमि'' में, कृषि या आवासीय प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से धारित या उपयोग में ली गयी भूमि या राजस्थान भूमि एवं भवन कर

अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम सं. 15) में यथापरिभाषित नगरीय भूमि या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 103 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित कोई आबादी भूमि सम्मिलित नहीं होगी ;

(घ) ''भू–धारक'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भूमि को उसके स्वामी, अभिधारी, पट्टेदार, अनुज्ञप्तिधारी, प्राप्तिकर्ता या किसी भी अन्य अधिकार या संविदा के अधीन या किसी भी अन्य हैसियत में धारित करता है या उपयोग में लेता है ;

(ङ) ''विहित'' से इस अध्याय के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) ''कर'' से इस अध्याय के अधीन भूमि पर संदेय कर अभिप्रेत है ;

(छ) ''वर्ष'' से 1 अप्रैल को प्रारंभ होने और ठीक आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है।

39. कर का उद्ग्रहण और उसकी दर .– इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भूमि के ऐसे वर्गों पर ऐसी दरों से, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, प्रति वर्ष कर उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कर की दर भूमि के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि ऐसी भूमि जो –

(क)

(i) केन्द्रीय सरकार ; या

(ii) वहां को छोड़कर जहां ऐसी भूमि या उससे संसक्त कोई अधिकार किसी भी व्यक्ति, संस्था या निगम इत्यादि को, संदाय पर या संदाय के बिना उसके उपयोग के लिए पट्टे पर दी जाती है या अन्यथा दी जाती है राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी,

के स्वामित्वाधीन है ; या

(ख)

(i) वक्फ सम्पत्ति के रूप में;

(ii) राज्य सरकार के देव स्थान विभाग द्वारा;

(iii) लोक उपासना या लोक प्रयोजन के लिए;

(iv) शवों के निपटारे से संबंधित प्रयोजनों के लिए;

(v) एकमात्र शिक्षा के प्रयोजनों के लिए किसी शिक्षण संस्था द्वारा; या

(vi) सार्वजनिक उद्यानों, सार्वजनिक पुस्तकालयों या सार्वजनिक संग्रहालयों के लिए,

धारित या उपयोग में ली जाती है,
पर कोई कर उद्‌गृहीत या संगृहीत नहीं किया जायेगा।

40. अनंतिम निर्धारण सूची का तैयार किया जाना.– (1) निर्धारण प्राधिकारी, कर देने की दायी समस्त भूमियों की, ऐसी रीति से और ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, जो विहित की जायें, एक अनंतिम निर्धारण सूची तैयार करेगा या करवायेगा।

(2) निर्धारण प्राधिकारी सूची तैयार करने में, कर देने की दायी समस्त भूमियों का कराधेय मूल्य का और उन पर निर्धारित किये जाने वाले कर की रकम का अवधारण करेगा और वह सूची में सम्यक् रूप से दर्शित किया जायेगा।

(3) जब अनंतिम निर्धारण सूची तैयार हो जाये तो निर्धारण प्राधिकारी, ऐसी रीति से और ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए जो विहित की जायें, उसका सार्वजनिक नोटिस देगा और सूची में वर्णित भूमि का भू–धारक होने का दावा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रभार का संदाय किये बिना उसका निरीक्षण करने के लिए और उसमें से उद्धरण लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

41. सूची में की प्रविष्टियों पर आक्षेप.– अनंतिम निर्धारण सूची में की किसी प्रविष्टि या उसमें किसी विषय के अंतःस्थापन या लोप से या सूची के संबंध में अन्यथा व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको धारा 40 की उप–धारा (3) के अधीन सूची निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवायी जाती है, तीस दिन की कालावधि के भीतर–भीतर, उसके संबंध में निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष आक्षेप फाइल कर सकेगाः

परन्तु निर्धारण प्राधिकारी, जहां उसका यह समाधान हो जाये कि आक्षेपकर्ता उपर्युक्त कालावधि के भीतर–भीतर किसी पर्याप्त हेतुक से आक्षेप फाइल करने से निवारित था वहां ऐसी कालावधि के पश्चात् फाइल किये गये आक्षेप को ग्रहण कर सकेगा किन्तु धारा 47 की उप–धारा (2) के अधीन मांग के नोटिस की प्राप्ति से तीस दिन के पश्चात् ग्रहण नहीं करेगा।

42. निर्धारण सूची को अंतिम रूप देना.– (1) जहां अनंतिम निर्धारण सूची में वर्णित किसी भूमि के संबंध में धारा 41 के उपबंधों के अनुसार कोई आक्षेप फाइल नहीं किया जाता वहां, सूची में ऐसी भूमि के संबंध में की प्रविष्टियों को अंतिम माना जायेगा।

(2) जहां अनंतिम निर्धारण सूची में वर्णित भूमि के संबंध में धारा 41 के उपबंधों के अनुसार कोई आक्षेप फाइल किया जाता है तो वहां निर्धारण प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को सुनवाई और साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्

आक्षेपों का विनिश्चय करेगा और अनंतिम निर्धारण सूची में ऐसी भूमि के संबंध में प्रविष्टि को पुष्ट, पुनरीक्षित या उपान्तरित करेगा।

(3) तत्पश्चात् अनंतिम निर्धारण सूची निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित की जायेगी और धारा 43 या धारा 44 के अधीन या धारा 48 के अधीन किसी अपील के परिणामस्वरूप या, यथास्थिति, धारा 51 के अधीन किसी पुनरीक्षण के कारण किये गये किसी भी संशोधन, परिवर्धन, शुद्धि या उपान्तरण के अध्यधीन रहते हुए अंतिम मानी जायेगी। इस प्रकार अंतिम की गयी सूची ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, सार्वजनिक निरीक्षण के लिए प्रकाशित और उपलब्ध करवायी जायेगी।

(4) इस प्रकार अंतिम की गयी सूची, धारा 43 या धारा 44 के अधीन या धारा 48 के अधीन किसी अपील के परिणामस्वरूप या, यथास्थिति, धारा 51 के अधीन किसी पुनरीक्षण के कारण किये जाने वाले किसी संशोधन, परिवर्धन, शुद्धि या उपान्तरण के अध्यधीन रहते हुए उस तारीख, जिसको यह अंतिम की गयी थी, के पश्चात् की 1 अप्रेल से प्रभावी और प्रवृत्त होगी और ऐसे समय तक, जब तक नयी सूची तैयार की जाये और प्रवृत्त हो, प्रवृत्त रहेगीः

परन्तु इस अध्याय के प्रवर्तन के पश्चात् प्रथम बार अंतिम की गयी सूची, ऐसी तारीख से प्रभावी होगी और प्रवृत्त हुई समझी जायेगी जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करे।

(5) निर्धारण प्राधिकारी, धारा 40, 41 और इस धारा की उप–धारा (1) से (4) में अधिकथित रीति से प्रत्येक पांच वर्ष में या उसके पूर्व भी कोई नयी सूची तैयार कर सकेगा बशर्ते राज्य सरकार ऐसी वांछा करे।

43. धारा 42 के अधीन अंतिम की गयी सूची का संशोधन.– (1) निर्धारण प्राधिकारी, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो विहित की जायें, किसी भी समय सूची को वहां संशोधित कर सकेगा जहां उसे यह प्रतीत हो कि सूची को विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार करने की दृष्टि से यह आवश्यक है और विशिष्टतया–

(i) सूची में किसी लिपिकीय, गणितीय या अन्य प्रकट भूल को शुद्ध कर सकेगा;

(ii) किसी भी गलत अन्तःस्थापन, लोप या अपवर्णन को शुद्ध कर सकेगा;

(iii) सूची में ऐसे परिवर्धन या शुद्धिकरण कर सकेगा जो उसे निम्नलिखित कारण से, आवश्यक प्रतीत हों–

(क) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन कर की दर परिवर्तित कर दिये जाने; या

(ख) भूमि के अधिकार में किसी भी परिवर्तन के हो जाने या इस कारण कि वह कर के संदाय के लिए दायी हो गयी है या दायी न रह गयी है; या

(ग) किसी भी भूमि के संबंध में बाजार मूल्य या निर्धारित कर, जो किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से अशुद्ध रूप से मूल्यांकित या निर्धारित किया गया हैः

परन्तु खण्ड (iii) के अन्तर्गत आने वाले मामले में तत्समय प्रवृत्त सूची में काई भी संशोधन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि भूमि के धारक को सुनवाई का और साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और निर्धारण प्राधिकारी ने प्रस्तावित संशोधन के संबंध में भू–धारक द्वारा फाइल किये गये आक्षेप पर विचार और विनिश्चय न कर लिया हो।

(2) निर्धारण प्राधिकारी, किसी भी समय, किन्तु धारा 40, 41 और 42 के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् निर्धारण सूची में ऐसी शुद्धियां, उपांतरण या परिवर्धन कर सकेगा जो निर्धारण सूची के अंतिम किये जाने के पश्चात् भू–धारक द्वारा ऐसी किसी भी भूमि के, जो इस अध्याय के अधीन कराधेय है, अर्जन के कारण उसे आवश्यक प्रतीत हो।

44. छूटा हुआ निर्धारण .– (1) जहां किसी भूमि या उसके किसी भाग के संबंध में कर किसी भी कारण से निर्धारण से छूट गया है वहां निर्धारण प्राधिकारी, धारा 40, 41 और 42 के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् उसके संबंध में कर का निर्धारण कर सकेगा :

परन्तु निर्धारण प्राधिकारी द्वारा, निर्धारण वर्ष से तीन पूर्ववर्ती वर्षों के पूर्व की किसी कालावधि के लिए निर्धारण नहीं किया जायेगा।

(2) जहां किसी भूमि के सम्बन्ध में उप–धारा (1) के अधीन कर का निर्धारण हो गया है, वहां निर्धारण सूची तदनुसार उपांतरित की जायेगी।

45. सूची में की प्रविष्टियों का निश्चायक होना .– निर्धारण सूची में उसमें उल्लिखित किसी भी भूमि के संबंध में की गयी कोई प्रविष्टि, सूची के प्रवर्तन में होने या रहने की कालावधि के लिए, कर से संसक्त किसी भी प्रयोजन के लिए निश्चायक सबूत होगी।

46. भूमि के अन्तरण से संबंधित सूचना प्रदान करने की बाध्यता .– (1) जब कभी भी इस अध्याय के अधीन किसी भूमि में कर का संदाय करने का हक या अधिकार अन्तरित कर दिया जाये तो भू–धारक, अन्तरण की तारीख से नब्बे दिन के भीतर–भीतर निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, ऐसे अन्तरण का नोटिस देगा।

(2) भू–धारक की मृत्यु की दशा में, मृतक का विधिक प्रतिनिधि, निर्धारण प्राधिकारी को, ऐसी मृत्यु के नब्बे दिन के भीतर–भीतर ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, ऐसी मृत्यु का नोटिस देगा।

47. कर की वसूली .– (1) भूमि के संबंध में कर का संदाय ऐसे स्थान पर और ऐसी किस्तों में किया जायेगा जो विहित की जायें और निर्धारण प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य प्राधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।

(2) कर के उद्ग्रहण के लिए सशक्त प्राधिकारी, कर या उसकी किसी किस्त के संदेय होते ही, ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जायें, अन्तर्विष्ट करते हुए मांग का एक नोटिस ऐसे नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर–भीतर उस कर के, जो शोध्य हो गया है, संदाय के लिए स्वामी पर तामील करवायेगा।

(3) जहां निर्धारिती द्वारा संदेय कोई कर या उसकी कोई किस्त विहित कालावधि के भीतर–भीतर संदत्त नहीं की जाती है वहां निर्धारिती उक्त कालावधि की समाप्ति पर उस तारीख से व्यतिक्रमी समझा जायेगा और धारा 53 के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम, यदि कोई हो, सहित कर, निर्धारिती या, यथास्थिति, उसके विधिक प्रतिनिधि से भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

48. अपीलें .– (1) धारा 42, 43 या 44 के अधीन के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगाः

परन्तु कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी, जब तक कि निर्धारित और अपील करने वाले व्यक्ति द्वारा संदेय कर के आधे से अन्यून के संदाय का समाधानप्रद सबूत उसके साथ न लगा हो।

(2) अपील प्राधिकारी उप–धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट कालावधि के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस कालावधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त हेतुक था।

(3) इस धारा के अधीन की प्रत्येक अपील विहित रीति से पेश और सत्यापित की जायेगी।

(4) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और आदेश की एक प्रति निर्धारण प्राधिकारी और ऐसे अन्य व्यक्तियों को भेजेगा जो विहित किये जायें।

(5) निर्धारण सूची, जहां आवश्यक हो, अपील प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार उपांतरित की जायेगी।

49. कर के संदाय में व्यतिक्रम पर शास्ति .– जब कोई निर्धारिती संदेय कर की किसी किस्त का संदाय करने में व्यतिक्रम करता है तो वह कर की बकाया रकम के अतिरिक्त शास्ति के रूप में कर की रकम के बराबर रकम का संदाय करेगा :

परन्तु जहां निर्धारण के आदेश के विरुद्ध कोई अपील लंबित हो वहां यदि उस अपील के लंबित रहने के दौरान या उसके विनिश्चय से तीस दिन के भीतर कर की बकाया का संदाय कर दिया जाये तो निर्धारिती शास्ति देने के लिए दायी नहीं होगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति –

(क) धारा 46 के अधीन उपबंधित कालावधि के भीतर निर्धारण प्राधिकारी को भेजे जाने के लिए अपेक्षित सूचना देने; या

(ख) धारा 53 के अधीन निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष पेश किये जाने के लिए अपेक्षित अभिलेख, दस्तावेज या विशिष्टियां पेश करने;

में विफल रहता है तो निर्धारण प्राधिकारी, स्वविवेक से उस पर शास्ति के रूप में दो सौ रुपये से अनधिक राशि अधिरोपित कर सकेगा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त वसूलीय होगी।

(3) उप–धारा (1) के अधीन संदेय या उप–धारा (2) के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम दर्शित करते हुए मांग का नोटिस, निर्धारिती पर विहित रीति से तामील किया जायेगा।

50. शास्ति के विरुद्ध अपीलें .– धारा 49 की उप–धारा (3) के अधीन मांग के नोटिस में दर्शित शास्ति की रकम पर आक्षेप करने या ऐसी शास्ति के दायित्व से इंकार करने वाला कोई निर्धारिती उक्त नोटिस की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् अपील में ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे और उक्त आदेश की प्रति निर्धारण प्राधिकारी और ऐसे अन्य प्राधिकारी को भेजेगा, जो विहित किया जाये। अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

51. पुनरीक्षण .– राज्य सरकार या ऐसा अन्य अधिकारी, जो उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाये, स्वप्रेरणा से या किये गये आवेदन पर इस अध्याय के अधीन किसी भी प्राधिकारी की कार्यवाहियों या आदेश का अभिलेख ऐसी कार्यवाही या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए

मंगवा सकेगा और उसके प्रति निर्देश से ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो न्याय के उद्देश्यों के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो।

52. अधिक संदायों का प्रतिदाय .– किसी निर्धारिती से शोध्य रकम से अधिक संदत्त कोई राशि निर्धारण प्राधिकारी को आवेदन किये जाने पर निर्धारिती को प्रतिदत्त कर दी जायेगी।

53. कर में छूट, कमी या परिहार की राज्य सरकार की शक्ति .– राज्य सरकार यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भूमि के किसी भी वर्ग या भू–धारकों के किसी वर्ग के संबंध में संदेय कर से भविष्यलक्षी रूप या भूतलक्षी रूप से छूट, कमी या परिहार कर सकेगी।

54. किसी भूमि के सम्बन्ध में दस्तावेज, अभिलेख, लेखा या अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत किया जाना .– जहां निर्धारण प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या राज्य सरकार की यह राय हो कि इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह लिखित में नोटिस द्वारा ऐसे किसी भू–धारक से, जिसके संबंध में कर का निर्धारण किया जाना संभाव्य है या निर्धारित कर दिया गया है, से उसके समक्ष ऐसी भूमि के संबंध में किसी अभिलेख, दस्तावेज, लेखा या अन्य आवश्यक विशिष्टियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और तदुपरि भू–धारक नोटिस की तामील के तीस दिन के भीतर–भीतर उन्हें निर्धारण प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

55. प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति .– निर्धारण प्राधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी, जो उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में नियुक्त किया जाये, इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, उस भूमि के, जिसके सम्बन्ध में कर का निर्धारण किया जाना संभाव्य है, अधिभोगी को युक्तियुक्त नोटिस देने के पश्चात् ऐसी भूमि पर प्रवेश कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई भी प्रवेश –

(i) सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच के समय में;

(ii) किसी मानव निवास स्थान में अधिभोगी की सहमति के बिना या उसको जब तक प्रस्तावित प्रवेश का कम–से–कम चार घण्टे पूर्व लिखित नोटिस न दे दिया गया हो; और

(iii) अधिभोगी की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, जिनमें पर्दाप्रथा के पालन संबंधी आवश्यक पूर्वावधानियां भी सम्मिलित हैं, का सम्यक् ध्यान रखे बिना,

नहीं किया जायेगा।

56. इस अध्याय के अधीन की कार्यवाही और सूची के किसी अननुपालन और लोप के कारण अविधिमान्य नहीं होना .– किन्हीं कार्यवाहियों का, उनके लिए उपबंधित समय के भीतर, अननुपालन या इस अध्याय के अधीन तैयार की गयी सूचियों में से किसी में किसी प्रविष्टि का लोप, जो तात्विक नहीं हो, कार्यवाही या, यथास्थिति, सूची को अविधिमान्य नहीं करेगा।

57. शपथ पर साक्ष्य लेने की शक्ति .– निर्धारण प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी को, इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित होती हैं।

(क) किसी व्यक्ति की उपसंजाति को प्रवर्तित करना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना;
(ख) किन्हीं दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण हेतु विवश करना;
(ग) किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना ; और
(घ) न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे अन्तरिम आदेश करना जो वह आवश्यक समझे ;

और इस अध्याय के अधीन किसी प्राधिकारी के समक्ष की किन्हीं भी कार्यवाहियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत और उक्त संहिता की धारा 96 के प्रयोजनों के लिए भी न्यायिक कार्यवाही समझा जायेगा।

58. निर्धारण प्राधिकारियों, अधिकारियों और सेवकों का लोक सेवक समझा जाना .– प्रत्येक निर्धारण प्राधिकारी और इस अध्याय के प्रयोजन के लिए ऐसे प्राधिकारी के आदेशों के अधीन कार्य कर रहा प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

59. संरक्षण .– राज्य सरकार, निर्धारण प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या इस अध्याय के अधीन सशक्त किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध इस अध्याय या तदधीन बनाये गये किसी नियम या किये गये आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आशयित कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

60. सिविल न्यायालयों में वादों का वर्जन .– किसी भी मामले में जो इस अध्याय के अधीन किन्हीं भी प्राधिकारियों या अधिकारियों द्वारा इस अध्याय के द्वारा या अधीन विनिश्चत या व्यवहृत किये जाने के लिए अपेक्षित हो, के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं हो सकेगा।

61. नियम बनाने की शक्ति .– (1) राज्य सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अध्याय के अधीन बनाये गये समस्त नियम उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए रखे जायेंगे जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि ऐसे सत्र, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान– मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो उक्त नियम तत्पश्चात् केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण तदधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

62. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति .– (1) यदि इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई का निराकरण करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश इस अध्याय के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

63. निरसन .– राजस्थान भूमि कर अधिनियम 1985 (1985 का अधिनियम सं. 6) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

(I) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994

अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (4) के विद्यमान उपबंधों में उपबंधित है कि अधिनियम के अधीन मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उस वर्ष से जिसमें रजिस्ट्रीकरण होता है, पांच निर्धारण वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा। इस प्रकार 31.3.01 तक जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र केवल 31.03.2006 तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र विहित की जाने वाली फीस के संदाय पर पांच वर्ष की और कालावधि के लिए नवीकृत किया जाता है। लगभग सभी व्यवहारियों को स्व–निर्धारण की परिधि में लाने और वर्ष 2003 में नये रजिस्ट्रीकरण संख्याओं के जारी होने की दृष्टि से सभी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों के नवीकरण का वर्तमान में कोई महत्व नहीं होगा। परिवर्तित परिस्थितियों में पूर्ववर्ती स्थिति को बनाये रखा जाना प्रस्तावित है जिससे एक बार मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि उसे अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रद्द नहीं कर दिया जाता है।

(II) राजस्थान मूल्य परिवर्धित विक्रय कर अधिनियम, 2003

राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार, अधिनियम में 'विक्रय' का निर्देश अंतर्विष्ट नहीं होना चाहिए। अतः अधिनियम के शीर्षक को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के रूप में पुनःनामित किया जाना प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 1 में 'विक्रय' को हटाया जाना और अधिनियम को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के रूप में पुनःनामित किया जाना प्रस्तावित है।

अधिनियम के अधिनियमन के समय 'पूंजीगत माल' को केन्द्रीय आबकारी परिभाषा निर्देश के अनुसार परिभाषित किया गया था। वैट लागू करने वाले अधिकांश राज्यों ने पूंजीगत माल को उनकी अपेक्षाओं के अनुसार परिभाषित किया था। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत माल को इस रीति से परिभाषित किया जाना प्रस्तावित है जिससे पुर्जों और उपसाधनों को सम्मिलित करते हुए संयंत्र और मशीनरी को राज्य सरकार की अन्यथा अधिसूचित करने की शक्ति के साथ पूंजीगत माल के रूप में व्यवहृत किया जाये।

अधिनियम में विशेष आर्थिक क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया गया था। चूंकि अधिकांश राज्यों में सेज की परिभाषा को सम्मिलित कर लिया गया है अतः विशेष

आर्थिक परिक्षेत्र की परिभाषा को विशेष आर्थिक परिक्षेत्र अधिनियम, 2005 में यथा परिभाषित रूप में अंशीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिकतम खुदरा कीमत के आधार पर कर उद्‌गृहीत करते समय व्यवहारियों को विकल्प का उपबंध करने के लिए ऐसे उद्‌ग्रहण से संबंधित पण्यावर्त को क्रेता व्यवहारी के पण्यावर्त में से अपवर्जित किया जायेगा अतः धारा 2 के खण्ड (41) पण्यावर्त की परिभाषा को तद्‌नुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

इस अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) के अधीन लघु स्तरीय व्यवहारियों को वैट के स्थान पर प्रशमन फीस के निक्षेप का विकल्प दिया गया है। सशक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार ऐसे विकल्प के प्रयोग के लिए वार्षिक पण्यावर्त की सीमा को पच्चीस लाख रुपये से बढ़ाकर पचास लाख रुपये का वार्षिक पण्यावर्त किया जाना प्रस्तावित है। यह लघु स्तरीय व्यवहारियों की परिधि को विस्तृत करेगा।

सशक्त समिति ने निदेश दिया है कि कर की दरें अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची में सम्मिलित की जानी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 4 को इस अधिनियम के अधीन कर योग्य माल के सूचीकरण का उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त कर की अधिकतम अनुज्ञेय दर पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत जो राज्य सरकार द्वारा कर के प्रशमन का विकल्प लेने वाले व्यवहारियों के लिए अधिसूचित की जाये किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित माल के संबंध में अधिकतम खुदरा कीमत पर कर की अवधारणा का व्यवहारियों को विकल्प उपलब्ध करवाकर पश्चिमी बंगाल के पैटर्न पर रखा जा रहा है। यह क्रय करने वाले व्यवहारियों से रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा किये बिना, अधिकतम खुदरा कीमत पर कर के उद्‌ग्रहण में सहायता करेगा।

सशक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार छूट प्राप्त माल को भी इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची मे सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। इस दृष्टि से अधिनियम की धारा 8 को ऐसी रीति से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ताकि छूट प्राप्त माल को अंतर्विष्ट करने वाली अनुसूची 1 अधिनियम के अधीन रखी जा सके। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को दी गयी छूट को अनुसूची–2 में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। इस अनुसूची को राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान द्वारा विश्रांती या उपांतरण के अध्यधीन उपांतरित किया जा सकेगा।

यदि कोई व्यवहारी अपने कारबार का मुख्य स्थान किसी अन्य निर्धारण प्राधिकारी की प्रादेशिक अधिकारिता में परिवर्तित करता है तो इस अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (3) के अधीन ऐसे परिवर्तन के लिए आयुक्त का अनुमोदन अपेक्षित है। व्यवहारी के हित में ऐसी अनुज्ञा प्रदान किये जाने में विलंब को दूर करने की दृष्टि से व्यवहारी के एसे निवेदन की यदि आवेदन प्रस्तुत किये जाने से साठ दिवस की कालावधि के भीतर–भीतर अनुज्ञात प्रदान नहीं की जाती है तो स्वीकार किया हुआ समझा जाने के लिए उपबंध किया जाना प्रस्तावित है। यह संशोधन विक्रय कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के आधार पर प्रस्तावित है।

राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति की तुलना में रजिस्ट्रीकरण की रकम के लिये प्रतिभूति को अधिक बताते हुए उसका विरोध किया गया। राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अधीन यथा–अपेक्षित रकम के समान प्रतिभूति की मांग को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन प्रस्तावित है। इसके लिए इस अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (2) और (3) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही बैंक प्रत्याभूति के रूप में प्रतिभूति को इस धारा के अधीन अनुज्ञात किया जाना भी प्रस्तावित है।

इस अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (2) आयुक्त को विशिष्ट मामलों में प्रतिदाय को पहले मंजूर करने के लिए सशक्त करती है। वे मामले जिनमें कच्चे माल पर कर की दर उसके विनिर्मित उत्पाद पर कर की दर से अधिक हो वहां व्यवहारी प्रतिदाय प्राप्त करेगा। व्यवहारियों के ऐसे संवर्ग को राहत पहुंचाने के लिए आयुक्त की शक्तियों के क्षेत्र को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है ताकि वह साधारणतया या विशिष्टतया परिस्थितियों की अत्यावश्यकता पर निर्भर रहते हुए पहले प्रतिदाय के लिए निर्देश दे सके।

जब कोई व्यवहारी अधिनियम के अधीन आगत कर मुजरा का दावा करने का आशय रखता है वहां इस अधिनियम की धारा 18 की उप–धारा 3 को खण्ड (v) में क्रय संव्यवहार की वास्तविकता साबित करने का भार क्रय व्यवहारी पर डाला गया है। ऐसे मामले में व्यवहारी से विक्रय व्यवहारी को सत्यापन प्रस्तुत करने को कहा जायेगा। अधिनियम की धारा 92 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए ऐसे सत्यापन प्राधिकृत विभागीय प्राधिकारियों द्वारा ऐसे विक्रय व्यवहारी को बुलाकर किया जा सकता है। इसलिए, खण्ड (v) को तद्नुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

किसी व्यवहारी द्वारा वैट के लागू होने की तारीख को व्यवहारी के स्टॉक में पड़े पूजी माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम

के अधीन संदत कर के मुजरे का उपबन्ध करने की दृष्टि से अधनियम की धारा 19 को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

धारा 23 में संशोधन प्रस्तावित है ताकि स्व–निर्धारण आदेशों की तामील की अपेक्षा को व्यवहारीयों के हित में अभिमुक्ति दी जा सके। ऐसे व्यवहारीयो जिनके विरूद्ध कोई मांग नही है, की सूची इलैक्ट्रोनिक या प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से प्रकाशित किये जायेंगे और ऐसा प्रकाशन व्यवहारी को सम्यक सूचना समझा जायेगा।

धारा 53 की उप–धारा (4) के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार प्रतिदाय की दशा में ब्याज उस तारीख से मंजूर किया जायेगा जिससे वह शोध्य होता है, जबकि राजस्थान विक्रय कर, 1994 प्रतिदेय रकम के जमा कराने की तारीख से ब्याज मंजूर करने का उपबन्ध करता है। प्रणाली को व्यवस्थित करने की दृष्टि से राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 56 के अधीन ब्याज का उपबन्ध समय के अनुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि प्रतिदायों पर ब्याज ऐसी रकम के जमा कराने की तारीख से व्यवहारी को मंजूर किया जा सके।

सशक्त समिति ने अधिनियम में विदेशी राजनयिक मिशनों को कर के प्रतिदाय सम्बन्धी उपबन्धों को सम्मिलित करने की भी सिफारिश की है। इसको ध्यान में रखते हुए, उप–धारा (6) अधिनियम की धारा 53 में अन्तः स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अधिनियम के अधीन धारा 56, 57, 58, 59, 62, 63 और 64 में शास्तिक उपबन्ध अन्तर्विष्ट है जिसमें शास्ति विक्रय कर विधि से अधिक है। सशक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार, शास्ति उपबन्ध विक्रय कर विधि के विद्यमान शास्ति उपबन्धों के समतुल्य रखे जाने है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए उक्त धाराओं में संशोधन प्रस्तावित है ताकि शास्ति को राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 में उपबंधित विद्यमान शास्तियों के समतुल्य किया जा सके।

अधिनियम के अधीन अपराधों के अभियोजन पर दण्ड और जुर्मान से संबंधित उपबन्ध विद्यमान विक्रय कर उपबन्धों की तुलना में अधिक कठोर हैं। इसलिए अधिनियम की धारा 67 की उप–धारा (1) को ऐसी रीति से संशोधित

किया जाना प्रस्तावित है ताकि दण्ड और जुर्माने के उपबन्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 में यथा–विद्यमान उपबन्धों सके समतुल्य हो सकें।

वादकरण को कम करने की दृष्टि से अपराधों के प्रशमन का क्षेत्र बढ़ाया गया है और मार्च, 2005 में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के अधीन और अधिक याथार्थिक बनाया गया है और वादकरण से बचने के लिए अधिनियम की धारा 68 में वैसे ही प्रशमन उपबंधों का सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

धारा 71 में टंकण त्रुटि शुद्ध करने के लिए उप–नियम (1) के निर्देश के स्थान पर धारा 71 की उप–धारा (2) में उप–धारा (1) का निर्देश प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

धारा 75 में प्रवेश, निरीक्षण और माल के अभिग्रहण और लेखाओं का उपबंध है। धारा की उप–धारा (8) माल के मूल्य के 30 प्रतिशत के समान शास्ति उपबंधित करती है। यह शास्ति, विद्यमान विक्रय कर उपबंधों में ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय कर के 5 मदों की रकम या माल के मूल्य का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो, के समान है। निम्नतर कर की मदों को राहत देने के लिए राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के समान उपबंधों का इस अधिनियम में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

यान या वाहक के ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति द्वारा जांच–चौकी से बचने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए राजस्थान विक्रय कर अधिनियम में ऐसे बचने के मामले में ऐसे माल के मूल्य के 50 प्रतिशत के समान शास्ति अधिरोपित करने का संशोधन किया गया था। इसके भयपरतिकारी प्रभाव हुए इसलिए धारा 76 की उप–धारा (11) में समान उपबंध सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। कूटरचित दस्तावेजों के अतिरिक्त उप–धारा (12) के उपबंध तब भी लागू किया जाना प्रस्तावित है जब दस्तावेज मिथ्या हैं। उप–धारा (4) में राज्य सरकार का प्राधिकार आयुक्त को प्रत्यायोजित किया जाना प्रस्तावित है।

संविदा आधार पर जांच चौकी की स्थापना से संबंधित उपबंध माननीय उच्च न्यायालय के संप्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए पुनःविचरित किये गये थे। अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात् यह राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 2004 में किया गया। राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के संशोधित समान उपबंधों से अधिनियम की धारा 77 को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

धारा 80 में समाशोधन और अग्रेषण अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति के लिए उपबंध हैं। सावधि अनुज्ञप्ति को प्रमाणपत्र के रूप में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।

धारा 73 के अधीन कर बोर्ड को अपील से संबंधित उपबंध को ऐसी रीति से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है कि उप–आयुक्त (प्रशासन) के सभी आदेशों को अधिनियम की धारा 86 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अपीलीय बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त धारा 77 के अधीन आयुक्त के संविदाकार के माध्यम से कर की वसूली से संबंधित आदेशों के विरूद्ध व्यथित व्यक्ति के लिए माननीय उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का सहारा लेना ही एकमात्र उपाय है। ऐसे मामलों में उपाय उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम की धारा 37 या धारा 77 के अधीन आयुक्त द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध कर बोर्ड को अपील करने का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।

धारा 91 की उप–धारा (3) को इस तथ्य की दृष्टि से उप–धारा (2) किया जाना प्रस्तावित है कि इस धारा में उप–धारा (2) विद्यमान नहीं है।

(III) राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951

प्रदूषण विश्वव्यापी समस्या बन गयी है और यह वर्तमान और भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। समस्त जानकार और जागरुक समाज मानवता के प्रति इस विभिषिका को रोकने की बाध्यता के अधीन हैं।

यह स्पष्ट है कि पुराने यान वायु प्रदूषण फैलाने के लिए वृहत् रूप से उत्तरदायी हैं इसलिए, यह समीचीन समझा गया है कि मोटर यानों के सम्बन्ध में कर अधिरोपित करने की राज्य की शक्तियों को न केवल पुराने यानों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए बल्कि अवसंरचना के विकास और रख–रखाव और वायु प्रदूषण की जांच के लिए उपस्करों के लिए संसाधनों की अभिवृद्धि हेतु भी उपयोग में लिया जाये। तद्नुसार, गैर–परिवहन यान जो पंद्रह वर्षों से काम में लिये जा रहे हैं, के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण पर उपकर और परिवहन यान जो 7 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं पर वार्षिक आधार पर उप–कर उद्गृहीत करना प्रस्तावित है।

(IV) राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

प्रतिभूति और स्टॉक के विक्रय, अंतरण इत्यादि से संबंधित कतिपय लिखतें इलैक्ट्रानिक फारमेट में ऑनलाइन निष्पादित की जा रही हैं। इन लिखतों को स्टाम्प शुल्कों की परिधि में लाने के लिए यह संशोधन प्रस्तावित है।

अभिव्यक्ति ''संगम'' और ''स्टॉक एक्सचेंज'' को परिभाषित करने के लिए धारा 2 में क्रमशः दो नये खण्ड (ik) और (xxxvi) जोड़े जाने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 11 और उप–धारा 2 के खण्ड (द) के

अनुसार विद्यमान खण्ड (xiii) और (xix) में दो नये स्पष्टीकरण भी जोड़े जाने ईप्सित हैं।

इसी प्रकार इस अधिनियम की धारा 85 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है और अभिव्यक्ति ''या संगम या स्टॉक एक्सचेंज'' अन्तःस्थापित की जायेगी।

किसी संगम या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किसी व्यापारिक सदस्य द्वारा कार्यान्वित संव्यवहार के अभिलेख (इलैक्ट्रानिक या अन्यथा) पर स्टाम्प शुल्क अधिरोपित करने के लिए अनुसूची में अनुच्छेद 5-क जोड़ा जा रहा है।

(V) राजस्थान विडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) अधिनियम, 1990

विडियो फिल्म पार्लर मनोरंजन सेक्टर के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा खड़ी कर रहे हैं जो पहले से ही इलेक्ट्रानिक मीडिया से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। विडियो फिल्म और पार्लर समाज की कोई भलाई करने के बजाय अक्सर सस्ते मनारंजन में लगे रहते हैं।

इसलिए राजस्थान विडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) अधिनियम, 1990 को निरसित करना उचित समझा गया।

(VI) भूमि कर

यह विचार किया गया कि वाणिज्यिक, औद्योगिक और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाली भूमियों के भू-धारक समाज के विकास और कल्याण के लिए संदाय करने में समर्थ हैं। इसलिए, भूमि के ऐसे वर्गों पर कर का उद्ग्रहण प्रस्तावित है।

साथ ही यह भी समुचित समझा गया कि भूमि को कृषि, आवासीय एवं सार्वजनिक उपयोग में लेने वालों को प्रस्तावित कर के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए और तद्नुसार इस विधेयक में इस प्रभाव के उपबंध भी किये गये हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

(वसुन्धरा राजे)
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 8, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित विक्रय कर अधिनियम, 2003 की धारा 4 में संशोधन किया जाना ईप्सित है, यदि अधिनियमित हो जाता है तो, राज्य सरकार को वह बिन्दू या वे बिन्दू जिन पर किसी व्यवहारी द्वारा कर का संदाय किया जायेगा, विहित करने; वह रीति विहित करने जिसमें अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर संदाय करने का विकल्प लेने वाला व्यवहारी कर का संदाय करेगा; और वे शर्ते और निबन्धन विहित करने, जिनके अधीन अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का संदाय करने का विकल्प लेने वाला व्यवहारी कर की रकम की वसूली कर सकेगा, के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 28, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित विक्रय कर अधिनियम, 2003 की धारा 77 में संशोधन किया जाना ईप्सित है, यदि अधिनियमित हो जाता है तो, राज्य सरकार को वह रीति जिसमें और वे निबन्धन और शर्ते जिनके अधीन ठेकेदार के माध्यम से कर की वसूली की जा सकेगी, विहित करने और वह रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर ठेकेदार कर संदाय करेगा, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 40 यदि अधिनियमित हो जाता है तो, राज्य सरकार को वह रीति, जिसमें अनंतिम निर्धारण सूची तैयार की जायेगी और वे विशिष्टियां, जो ऐसी सूची में अन्तर्विष्ट होंगे, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 42, यदि अधिनियमित हो जाता है तो, राज्य सरकार को वह रीति, जिसमें अनंतिम निर्धारण सूची प्रकाशित और निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जायेगी, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 46, यदि अधिनियमित हो जाता है तो, राज्य सरकार को वह प्ररूप और वह रीति, जिसमें भूमि के अन्तरण और भूमिधारी की मृत्यु की सूचना दी जायेगी, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 47, यदि अधिनियमित हो जाता है तो, राज्य सरकार को वह स्थान, जिस पर और वह किस्तें, जिनमें कर का संदाय किया जायेगा और ऐसी विशिष्टियां, जो मांग पत्र में अन्तर्विष्ट होंगी, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 48, यदि अधिनियमित हो जाता है तो, राज्य सरकार को वह रीति, जिसमें अपील प्रस्तुत और सत्यापित की जायेगी और वह व्यक्ति, जिसको

अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रति भेजी जायेगी, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 49, यदि अधिनियमित हो जाता है तो, राज्य सरकार को वह रीति, जिसमें मांग पत्र निर्धारिती पर तामील किया जायेगा, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 50, यदि अधिनियमित हो जाता है तो, राज्य सरकार को वह व्यक्ति, जिसको धारा 50 के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रति भेजी जायेगी, विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 61, यदि अधिनियमित हो जाता है तो, राज्य सरकार को अध्याय 7 के उद्देश्यों को सामान्यतः क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

(वसुन्धरा राजे)
प्रभारी मंत्री।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 38 निर्धारण प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है। वर्तमान में यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य सरकार के विद्यमान अधिकारियों को निर्धारण प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जायेगा। इस प्रकार कोई भी नया व्यय उपगत नहीं होगा।

(वसुन्धरा राजे)
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994
(1995 का अधिनियम संख्यांक 22) से लिये गये उद्धरण

x x x x x x

17. बाध्यकारी रजिस्ट्रीकरण.– (1) से (3) x x x x

(4) (क) इस प्रकार मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अन्तरणीय नहीं होगा और उस वर्ष से जिसमें रजिस्ट्रीकरण होता है, पाँच निर्धारण वर्षों की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा। तथापि, जहां व्यवहारी राजस्थान वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम सं. 5) के प्रारम्भ के पूर्व पहले से रजिस्ट्रीकृत हो, उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र 31.3.2006 तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रद्द नहीं कर दिया जाता।

(ख) रजिस्ट्रीकरण, ऐसी फीस के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाये, पाँच निर्धारण वर्षों की और कालावधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा। व्यवहारी, विहित फीस रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की कालावधि की समाप्ति के पूर्व जमा करवायेगा जिसमें विफल रहने पर रजिस्ट्रीकरण का पर्यवसान हो जायेगा।

(ग) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, यह समाधान हो जाने पर कि नवीकरण फीस जमा करवाने में विलम्ब के पर्याप्त कारण थे, विलम्ब के प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए एक सौ रुपये की विलम्ब फीस के संदाय पर रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण कर सकेगा।

(घ) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उप–धारा (3) के अधीन मंजूर किया गया या इस उप–धारा के अधीन नवीकृत किया गया रजिस्ट्रीकरण, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी भी समय रद्द किया जा सकेगा।

(5) से (7) x x x x x x

x x x x x x

राजस्थान मूल्य परिवर्धित विक्रय कर अधिनियम, 2003
(2003 का अधिनियम संख्याक–4) से लिये गये उद्धरण

x x x x x x

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.– (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित विक्रय कर अधिनियम, 2003 है।

(2) से (3) x x x x x x

2. परिभाषाएं.– इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(1) से (6) x x x x x x

(7) "पूंजीगत माल" से अभिप्रेत है.–

(i) सभी प्रकार के संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर या साधित्र;

(ii) ऊपर (i) में विनिर्दिष्ट माल के घटक, स्पेयर और उपसाधन;

(iii) सांचे और डाइयां;

(iv) रिफ्रेक्टर और रिफ्रेक्टरी पदार्थ;

(v) कारखाने में उपयोग में आने वाली ट्यूबें, पाइप और उनकी फिटिंग;

(vi) प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर; और

(vii) भण्डारण टैंक,

यदि ये केवल विक्रय के लिए माल के विनिर्माण से अविकल रूप से संसक्त हों, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाये;

स्पष्टीकरण– शंकाओं के निराकरण के लिए इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ''पूंजीगत माल" में किसी व्यवहारी के कार्यालय में या संकर्म संविदा के निष्पादन में उपयोग मे लिये गये कोई भी उपस्कर या साधित्र सम्मिलित नहीं हैं;

x x x x x x

3. कर का भार .– (1) x x x x x x

(2) उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उप–धारा (1) के खण्ड (ख) में प्रगणित व्यवहारी से भिन्न कोई व्यवहारी, जिसका पण्यावर्त किसी वर्ष में पच्चीस लाख रुपये से अधिक नहीं है और जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से माल का क्रय करता है, कर के संदाय के लिए ऐसा विकल्प दे सकेगा जो धारा 4 की उप–धारा (3) के अधीन अधिसूचित किया जाये।

(3) से (6) x x x x x x

4. कर का उद्ग्रहण और उसकी दर.– (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956(1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन किसी व्यवहारी

के द्वारा संदेय कर उत्तरवर्ती व्यवहारियों के द्वारा किये गये विक्रयों की आवली में ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर होगा जो विहित किये जायें और कराधेय पण्यावर्त पर पचास प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर से उद्गृहीत किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाये।

(2) प्रत्येक व्यवहारी, जो अपने कारबार के अनुक्रम में छूटप्राप्त माल से भिन्न किसी भी माल का ऐसी परिस्थितियों में क्रय करता है जिनमें ऐसे माल की विक्रय कीमत पर उप–धारा (1) के अधीन कोई कर संदेय नहीं है और उस माल का व्ययन धारा 18 की उप–धारा (1) के खण्ड(क) से (छ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जाता है, ऐसे माल की क्रय कीमत पर, उसी दर से कर देने का दायी होगा जिससे उप–धारा (1) के अधीन ऐसे माल की विक्रय कीमत पर उद्ग्रहणीय होता।

(3) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, धारा 3 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत आने वाले व्यवहारी द्वारा संदेय कर, पण्यावर्त पर पांच प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर से उद्गृहीत किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये।

(4) जहां कोई माल किसी सामग्री में पैक करके बेचा जाये, वहां चाहे पृथक् प्रभार लिया गया हो या नहीं, उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी पैंकिंग सामग्री पर का कर दायित्व और उस पर कर की दर, उसमें पैक किये गये माल पर के कर दायित्व और उस पर कर की दर के अनुसार होगी।

X X X X X X

8. कर से छूट.– इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी शर्त के बिना या ऐसी किसी भी शर्त के साथ, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी भी माल या माल के वर्ग के विक्रय या क्रय को या किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, कर से भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से, पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगी।

X X X X X X

अध्याय 3

व्यवहारियों का रजिस्ट्रीकरण

13. रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी– (1) X X X X X X

(2) x x x x x x

(3) जहां कोई व्यवहारी, रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर दिये जाने के पश्चात्, अपना कारबार का मुख्य स्थान वर्तमान निर्धारण प्राधिकारी की प्रादेशिक अधिकारिता के बाहर परिवर्तित करे वहां वह निर्धारण प्राधिकारी के ऐसे परिवर्तन के लिए आयुक्त या आयुक्त के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी से लिखित अनुज्ञा प्राप्त करेगा और जब तक ऐसी अनुज्ञा नहीं दे दी जाती वर्तमान निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यवहारी का निर्धारण प्राधिकारी बना रहेगा।

x x x x x x

15. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिभूति का दिया जाना.– (1) x x xx x x
(2) धारा 3 की उप–धारा (1) या (5) के अन्तर्गत आने वाले व्यवहारियों को बाध्यकारी रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के समय प्रारंभिक प्रतिभूति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत दो व्यवहारियेां के प्रतिभू के रूप में होगी और जहां व्यवहारी ऐसा प्रतिभू देने की स्थिति में नहीं हो वहां वह राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में या नकद निम्नलिखित रकम की प्रतिभूति प्रस्तुत करेगाः–

(क) लघुस्तरीय विनिर्माण इकाई के मामले में 25,000/– रु., मध्यमस्तरीय विनिर्माण इकाई के मामले में 50,000/– रु, और वृहत्स्तरीय विनिर्माण इकाई के मामले में 2,00,000/– रु. और

(ख) खण्ड (क) के अन्तर्गत नहीं आने वाले मामलों में 25,000/– रु.।

स्पष्टीकरण.– लघुस्तरीय या मध्यमस्तरीय या वृहत्स्तरीय विनिर्माण इकाई का वही अर्थ होगा जो उसे भारत सरकार द्वारा समय–समय पर समनुदिष्ट किया गया हो।

(3) धारा 12 के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के समय प्रारंभिक प्रतिभूति 25,000/– रु. की रकम के राष्ट्रीय बचत पत्र या नकद रकम के रूप में होगी।

x x x x x x

17. किसी व्यवहारी द्वारा संदेय कर.– (1) x x x x x x

(2) जहां उप–धारा (1) के अधीन संदेय शुद्ध कर का नकारात्मक मूल्य हो वहां उसे प्रथमतः केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) के अधीन या इस अधिनियम या निरसित अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर या बकाया रकम के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा और शेष रकम, यदि कोई हो, वर्ष की अगली कर कालावधि या कालावधियों के लिए अग्रनीत की जायेगी और प्रतिदाय, यदि कोई हो, ठीक उत्तरवर्ती वर्ष

की समाप्ति के पश्चात् ही मंजूर किया जायेगा तथापि, आयुक्त, विशिष्ट मामलों में, कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, ऐसा प्रतिदाय पहले मंजूर कर सकेगा।

(3) से (4) x x x x x x

18. आगत कर मुजरा.– (1) से (2) x x x x x x

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई भी आगत कर मुजरा–

(i) से (iv) x x x x x x

(v) जहां क्रय करने वाला व्यवहारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर विक्रय करने वाले व्यवहारी को प्रस्तुत करके या अन्यथा क्रय संव्यवहार की वास्तविकता सिद्ध करने में विफल हो जाता है–

(4) x x x x x x

19. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को स्टॉक के लिए आगत कर मुजरा.– कोई भी आगत कर मुजरा इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को स्टॉक में के माल पर अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। तथापि, स्टॉक जो 1 अप्रेल, 2002 को या उसके पश्चात् क्रय किया गया है और जिस पर निरसित अधिनियम के अधीन कर लग गया है, पर ऐसा मुजरा, केवल ऐसे व्यवहारियों को, जिन्होंने निरसित अधिनियम की धारा 93 के अधीन या इस अधिनियम के अधीन आयुक्त द्वारा यथा–अपेक्षित स्टॉक का ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया है, ऐसी रीति से, जो अधिसूचित की जाये, इस शर्त पर अनुज्ञात किया जायेगा कि स्टॉक में के ऐसे माल का उपयोग धारा 18 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाये।

x x x x x x

23. स्वनिर्धारण.– प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी,जिसने विहित समय के भीतर विवरणी फाइल कर दी है, धारा 24 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए धारा 21 के अधीन फाइल की गयी विवरणी के आधार पर ऐसी कालावधि के लिए, जिससे वह संबंधित है, फाइल की गयी विवरणी के आधार पर निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।

x x x x x x

53. प्रतिदाय.– (1) से (3)

(4) इस धारा के अधीन प्रतिदाय रकम पर उसके देय होने की तारीख से ऐसी दर से ब्याज लगेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये।

X X X X X X

56. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन न करने के लिए शास्ति.- जहां कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट या नियमों में विहित समय के भीतर-भीतर, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा-अपेक्षित रूप से स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए कोई आवेदन करने में, युक्तियुक्त हेतुक के बिना, विफल हो गया है वहां निर्धारण प्राधिकारी या उसे रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति प्रथम तीस दिन के लिए दो हजार रूपये की राशि शास्ति के रूप में और तत्पश्चात् निरन्तर व्यतिक्रम की दशा में ऐसे व्यतिक्रम के लिए प्रतिदिन बीस रुपये अतिरिक्त शास्ति के रूप में संदत्त करेगा।

57. प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति न देने के लिए शास्ति.- जहां कोई व्यवहारी धारा 15 के अधीन दिये जाने के लिए निदिष्ट प्रारंभिक प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर देने में विफल हो जाता है तो उसे रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी या, यथास्थिति, निर्धारण प्राधिकरण यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति दो हजार रुपये की राशि शास्ति के रूप में और अपेक्षित प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति दिये जाने तक प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये अतिरिक्त शास्ति के रूप में संदत्त करेगा।

58. विवरणी देने में असफल रहने के लिए शास्ति.- जहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा यथा-प्राधिकृत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक के किसी भी अन्य अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई भी व्यवहारी अनुज्ञात समय के भीतर-भीतर विहित विवरणी देने में, युक्तियुक्त कारण के बिना, विफल हो गया है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यवहारी शास्ति के रूप में -

(i) विलम्ब के प्रथम तीस दिन के लिए दो हजार रुपये के बराबर कोई राशि और तत्पश्चात् ऐसे मामले में, जिसमें देय कर अधिसूचित कालावधि में पुस्तकों के अनुसार निक्षिप्त कर दिया गया है, कर कालावधि के कर दायित्व के अधिकतम पांच प्रतिशत के अध्यधीन रहते हुए ऐसे व्यतिक्रम के लिए प्रतिदिन पचास रुपये;

(ii) विलम्ब के प्रथम तीस दिन के लिए दो हजार रुपये या कर दायित्व का पांच प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, के बराबर राशि और तत्पश्चात् ऐसे मामले में, जिसमें देय कर अधिसूचित कालावधि में निक्षिप्त नहीं किया गया है, कर कालावधि में कर दायित्व के अधिकतम दस प्रतिशत

के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे व्यतिक्रम के लिए प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये,–

संदत्त करेगा।

59. लेखे संधारित न करने या न रखने के लिए शास्ति.– जहां कोई व्यवहारी धारा 71 की उप–धारा (1) और (2) के उपबंधों के अधीन यथा–अपेक्षित लेखे, रजिस्टर और अभिलेख संधारित नहीं करता है, या अपने लेखे, रजिस्टर और अभिलेख धारा 71 की उप–धारा (3) और (4) के उपबंधों के अनुसार किसी स्थान पर नहीं रखता है वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा यथा–प्राधिकृत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई भी अन्य अधिकारी, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति पांच हजार रुपये की राशि शास्ति के रूप में और व्यतिक्रम चालू रहने की दशा में, ऐसे चालू रहने के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये की अतिरिक्त शास्ति संदत्त करेगा।

X X X X X X

62. आंकड़े प्रस्तुत न करने के लिए शास्ति.– जहां कोई भी व्यक्ति या व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या गठित किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी के द्वारा दिये गये किसी भी निदेश के अनुसरण में दिये जाने के लिए अपेक्षित आंकड़े या अन्य सूचना, अनुज्ञात समय के भीतर–भीतर, देने में विफल रहा हो वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा यथा–प्राधिकृत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई भी अन्य अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति या व्यवहारी एक हजार रुपये की राशि शास्ति के रूप में संदत्त करेगा।

63. अवार्डरों पर शास्ति.– (1) जहां किसी संकर्म संविदा का कोई अवार्डर किसी संविदाकार के बिल में से, यथाविहित कर के बदले में रकम काटने में विफल रहता है, या ऐसे बिल में से ऐसी रकम काट लेने के पश्चात् उसे विहित रीति से और समय में निक्षिप्त नहीं करता है वहां वह उसके द्वारा काटा गया कर और प्रत्येक अतिक्रमण के लिए शास्ति, जो न काटे जाने के मामले में, काटे जाने के लिए अपेक्षित कर की रकम का बीस प्रतिशत होगी और इस प्रकार काटी गयी किन्तु निक्षिप्त न की गयी रकम पर, ऐसी कालावधि के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम चालू रहता है, तीन प्रतिशत प्रतिमास की दर से शास्ति देने का दायी होगा।

(2) X X X X X X

64. अन्य अतिक्रमणों के लिए शास्ति.– जहां कोई भी व्यक्ति या व्यवहारी–

(i) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत या गठित, किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी निदेश का पालन करने में विफल रहता है; या

(ii) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के ऐसे किन्हीं भी उपबंधों का अतिक्रमण करता है जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट शास्ति, इस अधिनियम या नियमों के अधीन अन्यत्र उपबंधित नहीं की गयी है,–

वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा यथा–प्राधिकृत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई भी अन्य अधिकारी, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति या व्यवहारी दो हजार रुपये की राशि शास्ति के रूप में और व्यतिक्रम चालू रहने के मामले में, ऐसे चालू रहने के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये अतिरिक्त शास्ति के रूप में संदत्त करेगा।

x x x x x x

67. अपराधों के लिए अभियोजन.– (1) जहां कोई भी व्यक्ति,–

(क) यद्यपि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, तथापि अपने द्वारा किये गये किसी भी विक्रय या क्रय के समय या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या गठित, किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष कोई भी कथन या घोषणा करते समय यह मिथ्या व्यपदेशन करता है कि वह कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी है; और

(ख) जानते हुए मिथ्या लेखे, विक्रय और क्रय बीजक मूपक बीजक, रजिस्टर या दस्तावेज तैयार करता है या प्रस्तुत करता है या जानते हुए अपने कारबार के संबंध में मिथ्या विवरणियां प्रस्तुत करता है, या इस अधिनियम या नियमों या अधिसूचनाओं के अधीन अभिलिखित किये जाने के लिए अपेक्षित किसी भी कथन में या फाइल किये जाने के लिए अपेक्षित किसी भी घोषणा में कोई मिथ्या प्रकटीकरण या प्रकथन करता है; या

(ग) किसी भी रीति से कर का कपटपूर्ण परिवर्जन या अपवंचन करता है या अपने कर दायित्व को जानबूझकर छिपाता है; या

(घ) किसी भी मांग नोटिस की रकम संदत्त करने में विफल रहता है और उसके द्वारा मांग के नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् कम से कम छह मास की कालावधि व्यपगत हो गयी है;

स्पष्टीकरण.– इस खण्ड के अधीन का कोई भी अपराध तब तक एक सतत अपराध समझा जायेगा जब तक कि पूर्ण संदाय नहीं कर दिया जाता; या

(ङ) धारा 50 और 91 के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस की जानबूझकर अवहेलना करता है; या

(च) इस अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारी को कारबार के स्थान या ऐसे किसी भी अन्य स्थान में, जहां माल या लेखे, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज रखे जाने का विश्वास हो, प्रवेश करने, उसका निरीक्षण

करने और तलाशी लेने से किसी भी रीति से रोकता है या बाधा पहुंचाता है, या ऐसे अधिकारी को माल या लेखे, रजिस्टर और दस्तावेज अभिगृहीत करने से रोकता है या बाधा पहुंचाता है; या

(छ) माल का अभिवहन कर रहे ऐसे यान या वाहक को, जिसका वह ड्राइवर या अन्यथा प्रभारी है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निरीक्षण किये जाने के लिए रोकने में विफल रहता है या माल का या माल का अभिवहन कर रहे यान या वाहक का, किसी जांच–चौकी या नाके के प्रभारी या आयुक्त द्वारा उसके कर्तव्यों का निर्वहण करने के लिए इस निमित्त सशक्त अन्य अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किये जाने से रोकता है या बाधा पहुंचाता है; या

(ज) संचलन के दौरान माल के साथ के वाउचरों या मार्ग पत्रकों या माल की रसीदों या अन्य दस्तावेजों में, माल के परेषकों या परेषितियों के गलत या कल्पित नाम या पते या माल का गलत ब्यौरा या गलत विशिष्टियां दर्शित करते हुए किसी भी माल का राजस्थान राज्य में आयात या से निर्यात करता है; या

(झ) आगत कर का गलत मुजरा कपटपूर्वक प्राप्त करता है; या

(ञ) पूर्वोक्त रूप से ऐसे किसी भी अपराध के किये जाने में किसी भी व्यक्ति की सहायता या दुष्प्रेरण करता है;

वहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा या किसी भी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा, अधिकारिता रखने वाले उप–आयुक्त (प्रशासन) की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात्, कोई शिकायत किये जाने पर, वह, अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो तीन वर्ष का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। तथापि, खण्ड (ख), (ग), (च), (छ) और (झ) के अधीन आने वाले अपराधों के लिए वह, दोषसिद्धि पर, बारह मास के सादा कारावास के न्यूनतम दंडादेश से दंडनीय होगा किन्तु समुचित मामलों में न्यायालय बारह मास से कम का दंडादेश दे सकेगा।

(2) से (4) x x x x x x

68. अपराधों का शमन.– (1) x x x x x x

(2) उप–आयुक्त (प्रशासन), इस अधिनियम की किसी भी धारा के अधीन, चाहे कोई निर्धारण आदेश पारित किया गया हो या नहीं, ऐसे व्यक्ति से, जिसने उप–धारा (1) के अधीन आवेदन किया है, शास्ति या अभियोजन के बदले, अपराध के शमन के रूप में, परिवर्जित या अपवंचित कर की रकम के डेढ़ गुने के बराबर की राशि स्वीकार कर सकेगा।

(3) उप–धारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, धारा 75 की उप–धारा (8) या धारा 76 की उप–धारा (7) या (8) के अधीन अपने द्वारा किये गये अपराध को स्वीकार करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आवेदन किये जाने पर, निर्धारण प्राधिकारी, धारा 75 की उप–धारा (4) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी या धारा 76 की उप–धारा (4) के अधीन सशक्त अधिकारी, या, यथास्थिति, जांच–चौकी या नाके का प्रभारी, ऐसे व्यक्ति से शास्ति या अभियोजन के बदले शमन–धन स्वीकार कर सकेगा जो अन्तर्वलित माल पर उद्ग्रहणीय कर की चार गुनी रकम के या ऐसे माल के मूल्य की पच्चीस प्रतिशत रकम के, इनमें से जो भी कम हो, बराबर होगा।

(4) से (7) x x x x x x

75. प्रवेश की, लेखाओं और माल के निरीक्षण और अभिग्रहण की शक्ति.–

(1) से (7) x x x x x x

(8) निर्धारण प्राधिकारी या उप–धारा (6) में निर्दिष्ट अधिकारी, व्यवहारी को सुनवाई का अवसर दे देने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच कर लेने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, लेखा–जोखा रहित माल के कब्जे के लिए, चाहे वह उप–धारा (6) के अधीन अभिगृहीत किया गया हो या नहीं, उस पर, ऐसे माल के मूल्य के तीस प्रतिशत के बराबर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी माल को, यदि अभिगृहीत किया गया हो तो, अधिरोपित शास्ति के संदाय पर या उसके संदाय के लिए ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, जो वह आवश्यक समझे, निर्मुक्त कर सकेगा।

(9) x x x x x x

(क) x x x x x x

(ख) x x x x x x

76. जांच–चौकी या नाके की स्थापना और संचलन के दौरान माल का निरीक्षण.

(1) से (3) x x x x x x

(4) जहां कोई भी माल राजस्थान राज्यक्षेत्र के भीतर संचलन में हो वहां निर्धारण प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर के किसी भी स्थान पर, ऐसे माल को ले जाने वाले यान या वाहक या व्यक्ति को निरीक्षण के लिए रोक सकेगा और उप–धारा (2) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

(5) से (12) x x x x x x

77. संविदा आधार पर जांच–चौकी की स्थापना.– (1) जहां आयुक्त का यह विचार हो कि कोई विभागीय जांच–चौकी स्थापित किये बिना, धारा 2 के खण्ड (8) के अधीन अधिसूचित माल और पशुओं के संबंध में किसी बिन्दु विशेष पर या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए, संविदा आधार पर कर की एक नियत राशि संगृहीत करना राज्य के हित में है वहां, वह किसी संविदा के माध्यम से, किसी संविदाकार को, एक बार में दो वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए ऐसे बिन्दु पर या ऐसे क्षेत्र के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, ऐसा कर संगृहीत करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) उप–धारा (1) के अन्तर्गत का कोई संविदाकार, कर की दर की किसी भी वृद्धि या कमी या कर से छूट देने के फलस्वरूप पुनरीक्षण के अध्यधीन रहते हुए, कर की नियत रकम ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर–भीतर निक्षिप्त करेगा, जो आयुक्त द्वारा नियत किया जाये, और इस अधिनियम के, वसूली और ब्याज के उपबंधों सहित, सभी उपबन्ध यावत्शक्य ऐसे संविदाकार को लागू होंगे।

(3) जहां उप–धारा (1) के अधीन की गयी संविदा की कालावधि समाप्त हो जाती है और कोई और संविदा नहीं की जाती है वहां वही संविदा, तीन मास की और कालावधि के लिए या अगली संविदा करने की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ायी जा सकेगी और संविदाकार तदनुसार आयुक्त द्वारा यथानिदिष्ट बढ़ी हुई कालावधि के लिए कर की आनुपातिक रकम निक्षिप्त करेगा।

(4) संविदाकार उप–धारा (1) के अधीन माल पर अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय कर की रकम से अधिक कर संगृहीत नहीं करेगा।

(5) जहां कोई संविदाकार उप–धारा (4) के उपबंधों का अतिक्रमण करता है वहां, आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न रैंक का कोई भी अधिकारी, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, निदेश करेगा कि ऐसा संविदाकार, संगृहीत अधिक कर की रकम के अतिरिक्त, उसके या उसकी ओर से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा संगृहीत अधिक कर की रकम के दुगुने के बराबर राशि शास्ति के रूप में संदत्त करेगा।

(6) जहां कोई संविदाकार संविदा के किन्हीं भी निबन्धनों या शर्तों का अतिक्रमण करता है वहां उप–आयुक्त (प्रशासन), आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, कारण लेखबद्ध करने के पश्चात्, किसी भी समय संविदा को समाप्त कर सकेगा और संविदा के अधीन यथा–नियत पहले से निक्षिप्त रकम का समायोजन करने के पश्चात्, संविदा की पूरी रकम संविदाकार से इस प्रकार वसूलीय होगी मानो ऐसी रकम इस अधिनियम के अधीन कर की कोई मांग है और मांग की वसूली के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

(7) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, आयुक्त अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी ऐसे क्षेत्र में और ऐसे माल के संबंध में, जो उप–धारा (1) में निर्दिष्ट है, कर का संग्रहण नहीं करेगा।

x x x x x x

80. कतिपय अभिकर्ताओं का अनुज्ञप्ति प्राप्त करने और सूचना प्रस्तुत करने का दायित्व.– (1) ऐसा कोई निकासी या अग्रेषण अभिकर्ता, जो अपने कारबार के अनुक्रम में, कर के दायी माल के किसी परेषण की बुकिंग या परिदान लेने के लिए अपनी सेवाएं देता है या कर के दायी माल से संबंधित हक के किसी दस्तावेज को सम्भालता है, ऐसे सहायक आयुक्त या, यथास्थिति, वाणिज्यिक कर अधिकारी से, जिसकी प्रादेशिक अधिकारिता में वह अपने कारबार का संचालन करता है, ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा, जो विहित की जायें।

(2) से (3) x x x x x x

83. कर बोर्ड को अपील.– (1) निम्नलिखित के विरुद्ध कोई अपील, कर बोर्ड को होगी :–

(क) धारा 26 की उप–धारा (2) या धारा 36 या धारा 85 के अधीन आयुक्त द्वारा पारित कोई आदेश;

(ख) धारा 26 की उप–धारा (2) या धारा 33 की उप–धारा (1) के अधीन उप–आयुक्त (प्रशासन) द्वारा पारित कोई आदेश; और

(ग) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश।

(2) से (10) x x x x x x

x x x x x x

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 से लिये गये उद्धरण

xx xx xx

2. परिभाषाएं.– इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,–

(i) से (xii) xx xx xx

(xiii) ''निष्पादित'' और ''निष्पादन'' से, जबकि उसका प्रयोग लिखतों के संबंध में किया गया है, ''हस्ताक्षरित'' और ''हस्ताक्षर'' अभिप्रेत है;

(xiv) से (xviii) xx xx xx

(xix) ''लिखत'' के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई भी अधिकार या दायित्व सृष्ट, अंतरित, सीमित, विस्तारित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है;

xx xx xx

3 से 84 xx xx xx

85. पुस्तकें, आदि निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी.– (1) प्रत्येक लोक अधिकारी, जिसकी अभिरक्षा में कोई रजिस्टर, पुस्तक, अभिलेख, कागज, दस्तावेज या तत्संबंधी कार्यवाहियां हैं, जिसके निरीक्षण का यह परिणाम हो सकता है कि कोई शुल्क अभिप्राप्त हो या किसी शुल्क के संबंध में कोई कपट या लोप साबित या प्रकट हो जाये, किसी ऐसे अधिकारी को जिसका कर्तव्य यह देखना है कि समुचित शुल्क संदत्त कर दिया गया है या कलक्टर द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उप–खण्ड अधिकारी से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को ऐसे प्रयोजन के लिये किसी फीस या प्रभार के बिना उन रजिस्टरों, पुस्तकों, कागजों, दस्तावेजों और कार्यवाहियों का निरीक्षण सभी सुसंगत समयों पर करने देगा और टिप्पण और उद्धरण, जो वह आवश्यक समझे, लेने देगा।

(2) ऐसा प्रत्येक लोक अधिकारी मांग किये जाने पर कलक्टर को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे रजिस्टरों, पुस्तकों, अभिलेखों, कागजों, दस्तावेजों या कार्यवाहियों की मूल या अधिप्रमाणित प्रति भी उपलब्ध करायेगा।